

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

परीक्षा भवन, सेक्टर-13, नया लखनऊ अटल नगर, जिला-लखनऊ (उ.प्र.)

ई-मेल : seiaacc@upmail.gov

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 07/11/2020 को संपन्न 340वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— 06 —

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 340वीं बैठक दिनांक 07/11/2020 को श्री वीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री. सैतन लाल जगदाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री. नीलेश्वर प्रसाद राहु, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री. एम.अश्विनुभाब, खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री. कालदिपुशा मिश्री, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री वीरेन्द्र शर्मा द्वारा विदियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री अश्विनु कुमार राहु, सदस्य विदियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अगला कताबा गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। एका निधि से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा जायदम क्रमांक-2: शीम / मुख्य खनिजों, कन्सट्रक्शन एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों को प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेराली श्री रमेश डाकलिया (पिपलाकछार क्वार्टरजाईट एण्ड सिलिका रोण्ड पवारी), ग्राम-पिपलाकछार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्शों क्रमांक 1349)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 148122/2020, दिनांक 12/07/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापन दिनांक 17/07/2020 द्वारा ज्ञानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 21/08/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित क्वार्टरजाईट एण्ड सिलिका रोण्ड (शीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पिपलाकछार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित गाई औषध खसरा क्रमांक 708, कुल क्षेत्रफल-2.133 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्शों एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाकक्ष निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाकक्ष निर्धारण प्रधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिलेखित शर्तों को पालन में की गई कम्प्लायेंस की जानकारी फोटोडाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्लांटेशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोडाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी समिष्ट विभाग से प्रमाणित कर का प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडाफ्त) को साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को जापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोनेदार अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शों प्रस्तुत जानकारी का अकालीन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन की संस्था में ग्राम पंचायत विपलाकवार का दिनांक 20/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — नॉटिफाईड सवारी प्लान (विश्व इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान एण्ड सवारी कर्वायल प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त सचालक, सचालनपालक भीमिबी तथा इन्जिनर, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्रमांक 831/विमोडोली(ए.डी.डी)/माईनिंग एजीन/कार्टज एण्ड सी-राजनांदगांव/एफ नं. 11/2017 नया रायपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 408/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 4.05 हेक्टेयर होगा बताया गया है। जिससे कंवल विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलेक्टर अनुसार कोई कलेक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी कम से कम 500 मीटर की दूरी में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है। अर्थात् कलेक्टर से तुलनात्मक नियम सिद्ध क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान को लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों को लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलेक्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 409/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, नाला, मरुपट्ट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लीज की शेष अवधि का नाम पर की। लीज बीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 09/03/1994 से 08/03/2014 तक की अवधि हेतु की। शेष अवधि लीज बीड में 30 वर्ष की दिनांक 08/03/2014 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वननगडलविपरी, वननगडल वीरगढ़, जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्र. /मा.वि./न.उ.25/188 राजनांदगांव, दिनांक 21/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी घाम-विपलाकवार 0.5 कि.मी, स्कूल घाम-खैरागढ़ 9 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 9 कि.मी. की दूरी



पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। जमनार नदी 0.9 कि.मी. दूर है।

9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलॉजिकल रिजर्व 2,55,000 टन, माइनेबल रिजर्व 1,91,880 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,68,692 टन है। जीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर है। खनन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 0 मीटर (From surface level) है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। जीज क्षेत्र में क्वार स्थानित नहीं है एवं इसकी स्थानता का प्रभाव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिलिटींग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षाकार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
द्वितीय वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
तृतीय वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
चतुर्थ वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
पंचम वर्ष	2,500	3	7,500	15,000

11. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निम्नलिखित खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति घान पंचायत से सम्भलन से की जाएगी। इस बावत् घान पंचायत से सहमति ली जाएगी।
12. वृक्षारोपण कार्य - जीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 1,100 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 500 नम वीधे घोषित होना बताया गया है। क्षेत्र वृक्षारोपण 1 वर्ष में किया जाएगा।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,502 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 1,800 वर्गमीटर उत्खनित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःनरोप वन वृक्षारोपण का कार्य कर लिया जाएगा। प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान में पूर्व से उत्खनित खनिज की मात्रा को कम किया गया है जल्दा नहीं? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। साथ ही जिपसोलॉजिकल रिजर्व, माइनेबल रिजर्व की वार्षिक मात्रा की गणना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त का समावेश करके पूर्ण उपयुक्त भी गणना कर संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

anj

14. आवश्यकनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक P18 (1) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माइन लैंड क्षेत्र को अथवा 7.5 मीटर चौड़े सीटी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में अवाले/आईट एण्ड सिस्टिम्स सेक्टर खदान पार्टी अलिखित उत्तर क्रमांक 708 मूल संश्लेषण - 2133 हेक्टर, क्रमांक - 2000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सहायक पर्यावरण समाजवाद नियंत्रण प्राधिकरण, जिला-राजनादगांव द्वारा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कार्यालय (ग्रामि शाखा), जिला-राजनादगांव को ड्राफ्ट क्रमांक 432/सब.लि.03/2020 राजनादगांव, दिनांक 13/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	उत्खनन (टन)
2003	निरंक	2011	150
2004	2000	2012	150
2005	350	2013	निरंक
2006	100	2014	
2007	43	2015	
2008	55	2016	
2009	150	2017	
2010	150	2018	700
		2019	2300

16. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेंच, नई दिल्ली द्वारा सार्वत्रिक पर्यावरण दिवस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एफिलोकोप नं. 156 ऑफ 2018 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्मालख कालेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव को द्वाराण क्रमांक 468 / 28.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 4.05 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम-पिपलाकछान) का रकबा 2133 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम-पिपलाकछान) को मिलाकर कुल रकबा 6.18 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिप्त खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का रजिस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमाई जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपरान्ती उपपत्तों (Remnant Measures) की संख्या में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग डिवाइसलापी के कारण उत्खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपपत्तों परत वृक्षाक्षेपण अर्थात् के लिये समुचित उपपत्तों काया संवर्धन, संवर्धन, भौमिकी तथा खनिकर्म इत्यादी मयन, तथा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगड) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2019 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न्स ऑफ रिजर्वेस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजर्वेस इन्वायरमेंट बलीवरेस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattegarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
 - iii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out quantity.
 - iv. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - v. Project proponent shall submit compliance report for Environment Clearance from Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur.
 - vi. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.
 - vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed.
 - viii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

- ii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPOB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- iii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रतिक्रिया (एस.ई.आय.ए.ए.) धरतीरंगण की तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

2. मेसर्स श्रीमती अरुणा जोगेवार (कलकत्ता लाईन स्टोन क्वारी), ग्राम-कलकत्ता तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (संघियालय का नक्सी क्रमांक 1274)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईए / 1274/2020, दिनांक 25/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 12/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधित पानबन्दी दिनांक 21/09/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित गुना पत्थर (ग्रीन स्टोन) खदान है। खदान ग्राम-कलकत्ता, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक 262, गूज सेक्टर-0.85 डेक्केयर में है। खदान की आवेदित संरक्षण क्षेत्र-10,000 एम हेक्टेयर है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सर्वेक्षण कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पत्थर खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. रीट्रिफिकेशन, 2008 (यथा सहायित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर उस समय प्रस्ताव जाएगा, जब एक लीज के परिधि के बीच दूरी एक सदी समित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु होमोजिनियस मिन्टल क्षेत्र में विचारणीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर से भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए, तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाय, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। साथ उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(Handwritten signature)

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने का वाक्य न होने का वाक्य जानकारी की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निदेशक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीखण्ड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निदेशक प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीखण्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरीक्षित शर्तों का पालन में की गई कर्तव्यपत्री की जानकारी फोटोसाथक सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्स्थापना की अपेक्षा स्थिति की जानकारी फोटोसाथक सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
5. सू-स्थानित संबंधी जानकारी / दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को सम्बन्धित समस्या पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसाथक) को साथ-आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तरीखण्ड के आदेश दिनांक 28/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की अगली बैठक दिनांक 07/11/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलेक्टर का अपत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वार्टी प्लान (एलीगिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एचआरडी क्लोजन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो राज्यपालक (खनि.प्रसा.), जिला-राजपुर के आदेश क्रमांक /क/खनि./तीन-6/2017/3834 प्राप्ति दिनांक 07/09/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 4288/खनि.03/2020 राजनांदगांव दिनांक 21/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 8 खदानें, संकुल 8.38 हेक्टेयर होने बताया गया है। जिसमें केवल विधायकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 300 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2000 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संयुक्त खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिंगरल क्षेत्र में विधायकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल

खदानों को लीज सीमा को 500 मीटर को भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलेक्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव को डायन क्रमांक 1661/सा.नि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार लका खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, गुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज धीनती अरुणा जोगेवार के नाम पर थी। लीज डीड 3 वर्षी अवधि दिनांक 20/11/1992 से 19/11/1995 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 20/11/1995 से 19/11/1998 तक की अवधि हेतु, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/1998 से 19/11/2008 तक की अवधि हेतु एवं तृतीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/2008 से 19/11/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। उपरोक्त लीज डीड में 9 वर्षी की दिनांक 20/11/2013 से 19/11/2022 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, वनसम्पदा खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव को डायन क्रमांक/सा.नि./न.क्र. 25/2258 खैरागढ़, दिनांक 01/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कलकला 0.9 कि.मी, स्कूल एवं अस्पताल फ्लेपपुर 1 कि.मी, मि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राजमार्ग 23 कि.मी. दूर है। जमनेर नदी 4.3 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किराहाली बाल्युटोप एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोसीलिकम रिजर्व 170,000 टन एवं रिकॉन्वेयल रिजर्व 89,840 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा वाली (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर है। खोपन क्वार्टर सीमा गेजमाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संस्थापित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक टैंक से क्लिफिंग एवं खंडाल स्लान्डिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम स्थापित किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	1,667	3	5,000	10,000
द्वितीय वर्ष	1,667	3	5,000	10,000
तृतीय वर्ष	1,667	3	5,000	10,000
चतुर्थ वर्ष	1,667	3	5,000	10,000
पंचम वर्ष	1,667	3	5,000	10,000
छहवां वर्ष	1,667	3	5,000	10,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंचकाव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति विभिन्न स्रोतों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति घन पंपागत की सहायता से की जाएगी। इस बाबत घन पंपागत से रकमति ली जाएगी।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र को कुछ भाग उत्खनित है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति को बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःस्थापन कर वृक्षारोपण का कार्य कर लिया जाएगा। साथ ही प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में स्वीकृत रिजर्व की मात्रा 10 प्रतिशत की आधार पर की गई है। जो कि उपयुक्त नहीं है। वास्तविक रिजर्व की मात्रा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुये उपयुक्त की मात्रा का संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नील ज्वेल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु भारत पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 11(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त शर्तों के अनुसार माईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े संपर्क ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

1. पूर्व में पूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 262, कुल क्षेत्रफल - 0.85 हेक्टेयर, सगता - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्वाहन प्राधिकरण, जिला-राजसमंदवांग द्वारा दिनांक 03/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में ही गई कार्रवाही की उत्तरदायी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार पूंजासौंपन नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव की द्वारा क्रमांक 4358/ख.सि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2020 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की उत्तरदायी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2008-09	1,050	2014-15	निराश
2009-10	1,920	2016-18	
2010-11	2,450	2018-17	
2011-12	1,895	2017-18	3,500
2012-13	3,550	2018-18	2,900
2013-14	400	2018-20	2,800

17. मामलीय एम.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट डेप, नई दिल्ली द्वारा सार्वेय सम्प्रेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पेशित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव की द्वारा क्रमांक 4298/ख.सि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 को अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर की चौड़ाई 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कलकसा) का रकबा 0.85 हेक्टेयर है। इन जगह आवेदित खदान (ग्राम-कलकसा) को मिलाने कुल रकबा 7.03 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों पर कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने को कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी सभी।
- माईन लीज क्षेत्र को घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सीपटी पॉथ को कुछ भाग में किये गये उत्खनन को कारण इस क्षेत्र को उत्तरदायी उपायों (Remedial Measures) में संश्लेष में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों को कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पूंजासौंपन आदि को किये समुचित उपायों बाबा, संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा तकनीकी, इत्यादी मजदूर, मया संयुक्त अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खदान 'बी1' श्रेणी का होने को कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

(Signature)

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म ऑफ बिजनेस (टीबीआर) कोर ईआईए / ईएमप्ले रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायन्मेंट क्लीयरेंस अन्धर ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित होती। (ए) का स्टैम्पड टीबीआर (लोक सूचना सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न उल्लिखित टीबीआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C Chhatnagar before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all actual blocked reserves in calculations & mined out quantity.
- iv. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- v. Project proponent shall submit the readable NOC of Gram Panchayat.
- vi. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समन्वय निदेशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रलेखन की तालिका अनुसार सुधित किया जाए।

3. मेराई एच. बलीराम करमण समुद्रि शासकीय विजिलेता महाविद्यालय (सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अन्धर पी.एम.एस.एस.वाए. फेज-IV), ग्राम-दिमरापाल, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (समिन्वयन की नस्ती क्रमांक 1403)

ऑनलाईन आवेदन- प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 174475/ 2020, दिनांक 26/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (अन्धर पी.एम. एस.एस.वाए. फेज-IV) है। यह हॉस्पिटल ग्राम-दिमरापाल, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 51 एवं 82, प्लॉट एरिया-41,558.4 वर्गमीटर में

31

प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 28,787.27 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 82 करोड़ है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. नूनि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. स्वाम प्रधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. सूचित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपयुक्त सूचित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, क्वालिटीम डस्ट क्लियरेंस निर्धारण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. दोस अधिशेषों के निपटार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित ले-आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा ले-आउट का विवरण प्रस्तुत की जावे। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. लीई-आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (संलग्न फोटोआवक) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. प्रतिनिधियों के द्वारा दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई सूचित जानकारी एवं समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दक्षिण बिजुल ग्राम वल्ले क्वारी एम्ब फिक्स विमनी बिजुल फ्लाट (पी- बी दिनेश जवाहराल), ग्राम-दक्षिण, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1410)

ऑनसाईड आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईएन/ 178809/2020, दिनांक 27/09/2020।

परस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संकलित मिट्टी उत्खनन (मीग खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-दक्षिण, तहसील व जिला-सूरजपुर तथा नक्सा क्रमांक 1296/1, 1296/2 एवं 1297 गुल क्षेत्रफल - 1.091 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मीग खनिज उत्खनन क्षमता - 678 धनगोल प्रतिवर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता - 8,81,500 नग प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत को अनामतित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व से आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण सचिवालय (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण सचिवालय (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिनियम 30/1986 के अन्तर्गत की गई नक्कीवाली की जानकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्ताविका की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत जन प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवोधना प्रस्ताविका को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोकॉपी) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिवोधना प्रस्ताविका को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु पी पीलत राजगार्ह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दक्षिण का दिनांक 05/09/2010 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी स्लैब, इन्फ्रस्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एम्ब क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया से

आपन क्रमांक 2894/खनिज/सति.2/2020 जसेना, डेकुमपुर दिनांक 18/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज खण्ड), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक/685/खनिज/2020 सुरजपुर दिनांक 22/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक/685/खनिज/2020 सुरजपुर दिनांक 22/08/2020 द्वारा जारी आपन पत्र अनुसार वस्तु खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — भूमि एवं लीज की दिनेश जायसवाल के नाम पर है। लीज डीज 10 वार्षी अवधि दिनांक 22/07/2018 से 21/07/2020 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीज ने 20 वर्षों की दिनांक 22/07/2020 से 21/07/2040 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, पश्चिम चारदुगा वनमण्डल, अम्बिकापुर के आपन क्रमांक/भा.वि./10/1470 अम्बिकापुर दिनांक 11/05/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी डाग-बतिना 0.7 कि.मी., स्कूल राम-बतिना 0.25 कि.मी. एवं अस्पताल विनामपुर 5.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.75 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.15 कि.मी. दूर है। नहर नदी 8.1 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
10. खनन संघदा एवं खनन का विवरण — जिम्बोलाडिनाल रिजर्व 15.003 घनमीटर, साईनेबल रिजर्व 7.139 घनमीटर एवं रिवाइनेबल रिजर्व 8.925 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर का क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर है। जोखन वास्तु संयुक्त विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। प्रस्तावित लीज क्षेत्र में मीटर ईट निर्माण हेतु क्लिफ मिन्नी तथा क्लिफ विनामपुर, जिनाका क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर है। प्रस्तावित मिन्नी की ऊंचाई 33 मीटर है। फोस्फे की मात्रा 87.5 टन प्रतिवर्ष है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाइंग ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है-



वर्ष	मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नम)
प्रथम वर्ष	675	6,75,000
द्वितीय वर्ष	675	6,75,000
तृतीय वर्ष	675	6,75,000
चतुर्थ वर्ष	675	6,75,000
पंचम वर्ष	675	6,75,000
छठवें वर्ष	675	6,75,000
सातवें वर्ष	675	6,75,000
आठवें वर्ष	675	6,75,000
नौवें वर्ष	675	6,75,000
दसवें वर्ष	675	6,75,000

नोट: शालिका में प्रस्तावित की मात्रा में अंतरों को सतृप्तकृत किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.34 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में जल की आपूर्ति राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में राम पंचायत से सहमति ली गई है।
12. वृक्षारोपण कार्य – सीमा क्षेत्र की सीमा में चारी ओर 1 मीटर की गहरी में 288 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1296/1, 1296/2 एवं 1297, बीजपुर 1,081 हेक्टेयर, क्षमता-1877.75 घनमीटर (10,09,081 नम) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्धारण आविर्करण, जिला-सुरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों में पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- c. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- d. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के इशारे क्रमांक 636/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 22/09/2020 को अनुसार दिनांक वर्षों में किये गये उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	वार्षिक उत्पादन (नम)
2017	4,45,000
2018	6,00,000
2019	5,00,000

- e. विगत वर्षों में किये गये मिट्टी उत्खनन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों वर्षों निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

(Handwritten Signature)

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.94	2%	0.58	Following activities at Government Primary School Village - Datima	
			Rain Water Harvesting System	0.77
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.87

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को विगत वर्ष में परिवार किए गए उद्योगों की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) अनिश्चित विभाग से उपलब्ध करा कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स हाईटेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, राम-बिल्दा व मोहनदटा, तहसील-बिल्दा, जिला-बिलासपुर (राज्यालय की नस्ली क्रमांक 1373)

ऑनलाईन आवेदन- प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए/ सीपी/ आईएलबी/ 103018/2020, दिनांक 20/08/2020। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से जापन दिनांक 29/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रांति जलकारी दिनांक 02/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम-बिल्दा व मोहनदटा, तहसील-बिल्दा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पाटे) कुल क्षेत्रफल - 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट क्षमता-1,000 (3 गुना 300 टन) टन प्रतिदिन की क्षमतावाली स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूप्य 10 करोड़ है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सरसाम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. नू-स्वामिद्वय संबंधी दस्तावेज की पंथीय प्रति प्रस्तुत की जाए।



2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों (यदि कोई हों) हेतु प्रत्येकसमय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सख्ती शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. बायोमैट्रिक्स बाइर रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्बरिस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (स्केच एवं साईज नहित) प्रस्तुत की जाए।
4. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्लूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, सी-गटेरिफिकल के परिवहन कट एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. तीसरे अपशिष्टों के निपटारे हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. जल-आवर में प्रस्तावित कुआरोपण की शर्तों हेतु कुआरोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। कुआरोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. सेंट्रल बायोमैट्रिक्स बाइर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेक ज़ोन के अंतर्गत आने वाला जानकारी प्रस्तुत की जाए। बायोमैट्रिक्स बाइर उपयोग करने हेतु सेंट्रल बायोमैट्रिक्स बाइर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अज्ञान फोटोकॉपी) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदरानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रत्येकसमय के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित कुमार अग्रवाल एवं श्री निरेश कुमार अग्रवाल, जीवरैक्टन उपस्थित हुए। समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक सीमेंट हाईड्रिंग यूनिट है, जो क्लीकर हाईड्रिंग प्रोसेस पर आधारित होगी।
2. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —
 - समीपस्थ आवादी ग्राम-बिल्लत 0.8 कि.मी. एवं शहर बिलासपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बिल्ला 0.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.3 कि.मी. दूर स्थित है। नगिबारी नदी 8 कि.मी. की दूरी पर है।



* 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सेन्ट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना बताना गया है।

3. **सेम्क एरिया स्टेटमेंट** - कुल एरिया 7.22 एकड़ है, जिसमें से फ्लाट एरिया 1.81 एकड़, पार्किंग एरिया 0.91 एकड़, वीम वेल्ड एरिया 2.98 एकड़, रोड एरिया 0.41 एकड़ एवं खुला क्षेत्र 0.95 में प्रस्तावित है।
4. **भू-स्वामित्व** - भूमि श्री आदित्य अग्रवाल के नाम पर है। उनसे द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए सहमति प्राप्त होना बताया गया।
5. **सी-मटेरियल-**

S. No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
OPC			
1.	Clinker	950	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
PPC			
1.	Clinker	600	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Flyash	350	Rail
PSC			
1.	Clinker	500	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Sand	450	Rail

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। धिमली जो पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रहना चाहिए। साथ ही डस्ट सप्लेशन/पस्यूजिटा डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़कान की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सी-मटेरियल सटीरज एरिया कन्क्रेट डिपॉ एवं स्टोरेज में प्रस्तावित है। स्टोर जो पैकड किया जाएगा तथा स्टोरज एरिया में फ्लोइडर सेल तथा टर्कर के एंटी की सुविधा रहेगी।
7. **ओरा अपशिष्ट उपसहन व्यवस्था** - राइजिंग यूनिट से ओरा अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में एकत्रित डस्ट को पुन: उपयोग कर लिया जायेगा।
8. **जल प्रबंधन व्यवस्था-**

* **जल खपत एवं स्क्रॉट संबंधी जानकारी** - परियोजना हेतु कन्सट्रक्शन फेज में 10 घनमीटर एवं ऑपरेशनल फेज में 25 घनमीटर प्रतिदिन (फेसु हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्लेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, वीम वेल्ड हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल खपत होगा। कन्सट्रक्शन फेज में जल टैंकर को संचालन से लिया जायेगा तथा ऑपरेशनल फेज में स्क्रॉट यू-जल होगा। अधिमत्त जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल गवर्नमेंट बोर्ड को आवेदन से लिए जाने बाबत आवेदन किया गया है।

(Signature)

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु 8 घनमीटर प्रतिघंटा क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। शुद्ध निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
- नू-जल उपयोग प्रबंधन — परियोजना स्थल सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड के अनुसार सीमेंट क्रेटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार—
(अ) कुदरत एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 30 प्रतिशत दूषित जल का पुनःउपयोग एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
(ब) हाउसिंग बोर्ड विभाजन हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑटोमैगिनेशन जल विभाजन के आधार पर नू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल हाउसिंग बोर्ड द्वारा दिखे जाने का प्रावधान था। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग — उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल स्तरीय 7.722 घनमीटर प्रतिघंटा है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पिट निर्मित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी गणना में त्रुटि है। अतः रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 9. विद्युत आपूर्ति एवं कमीत — परियोजना हेतु 2.500 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति उत्तरीसमूह राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक विद्युत स्रोत हेतु डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित होना बताया गया है, जबकि डी.जी. सेट की क्षमता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 10. वृक्षाशेषण संबंधी विवरण — कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2.98 एकड़ (41.27 प्रतिशत) में 2.025 मीटर वृक्षाशेषण डीन बेजट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। परिसर को चारों ओर न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि कम से कम 10 मीटर किया जाना आवश्यक है।
- 11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 100 प्रतिशत कच्चे पदार्थों का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग परिसर में लगी हुई कच्चे की भूमि से रेलवे साइडिंग लगा हुआ है, जिसका उपयोग प्रस्तावित इकाई हेतु किया जाना है। रेलवे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए सड़क का निर्माण किया जाएगा।
- 12. गै-मेटेरीयल्स का शत प्रतिशत परिवहन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ग्लेस एवं फ्लाइंग ऐश का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना समझ प्रतीत नहीं होता है।
- 13. रेलवे साइडिंग एवं परिसर में लोडिंग एवं अनलोडिंग बिन्दुओं पर डस्ट सप्रेसन/प्लुमिडिग डस्ट वासर्जन के नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1000	2%	20	Following activities at Government Primary School Village-Mohbhata and Government High School Village-Silha	
			- Rain Water Harvesting System	
			- Plantation with fencing	
			- Running Water Facility for Toilets	

उपरोक्त की विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना की लागत भी कम दर्शाई हो रही है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से विन्मयानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भूमि की जादिलख अदालत के तहत पर है। उनको द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए दी गई सहमति बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी-मटेरियलस यथा डिलेक्ट, ब्लेग, प्लाई ऐश एवं पियरान की आपूर्ति के समय में आपूर्तिकर्ता की साथ सूचे एग्जीक्यूटिव की प्रति, स्कोप एवं मात्रा की उल्लेख सहित विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. सभी सी-मटेरियलस का रात प्रतिशत परिवहन केत मार्ग से किये जाने हेतु मटेरियल डिलेक्ट की साथ विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेलवे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि को इन्स्टामेंट प्रस्तुत किये जाये तथा रेलवे साइडिंग परियोजना स्थल एवं प्रस्तावित सड़क को एक नक्शे में दर्शाया जाए।
5. रेलवे साइडिंग एवं परिसर में लोडिंग एवं अन्लोडिंग बिन्दुओं पर डस्ट संचयन/क्यूजिटिव डस्ट पल्परजन के नियंत्रण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल, पहुँचनार्ग, रेलवे साइडिंग के बीच एवं रेलवे स्टेशन की ओर कम से कम 15 मीटर चौड़ी पट्टी तथा बीच क्षेत्रों में कम से कम 10 मीटर चौड़ी पट्टी के विकास योजना को जे-आउट में दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुगिट्स को गली चार्ट में दर्शाते करते हुए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।
8. वैकल्पिक विद्युत स्त्रोत हेतु कीसी, सेट की इम्प्ले एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. परियोजना स्थल सेटल प्रायण्ड गार्डर बोर्ड के अनुसार सभी विटिफाइड जॉन में आता है। भूमिगत जल की उपवीन की स्थान पर अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



10. रंग बीटर हावीकरण व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 11. परियोजना की वार्षिक लागत का विवरण प्रस्तुत करते हुए तदनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 12. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / वार्षिक प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स नरदाहा लाइम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री श्रीचंद प्रियानी), ग्राम-नरदाहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1412)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयाजल नम्बर - एएआईए / सीडी / एमआईएम / 57130 / 2020, दिनांक 03 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पत्थर (गीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नरदाहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर सिधा नुसार क्रमांक 1068, कुल क्षेत्रफल-1.558 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित पत्थरजन क्षमता-80,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08 / 10 / 2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. ग्राम पंचायत के अनाधिकृत प्रमाण पत्र की पतनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए, नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक जीज के परिवारों के बीच दूरी उस सड़क खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिवार से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिटीस गिनतल क्षेत्र में विद्यमान खदान के जीज बीना से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के जीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी ने कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित क्लस्टर पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकृतित शर्तों को पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोसहित सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशाघरण की खदान स्थिति की जानकारी फोटोसहित सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए अध्ययन की कार्यात्मक भाग की जानकारी स्थिति विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भू-स्थानिक संघर्ष जानकारी/दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, खलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लखन कुमार गुप्तानी, जयपुर प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि आई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र - कल्याण के संघ में ग्राम पंचायत मरहटा का दिनांक 14/04/2012 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परखनन योजना - क्वार्टी प्लान विधि स्थीन ऑफ साईनिंग ऑर कवर्ट फाईव ड्रियर एन्ड क्वार्टी क्लीजन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संभावक (ख.प्र), सभालनालय भीमिकी तथा खनिकर्न, नया रामपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4044/सनि02/मा.पल.अनुमोदन/म.अ.04/2019(2) तथा रामपुर दिनांक 29/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 806/ख.नि./जीन-8/2020 रामपुर दिनांक 11/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 22 खदानों को प्रकर 34.25 हेक्टर का क्षेत्र बताया गया है। जिसमें केवल विधायकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (सर्व संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समूह समाप्त जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच पूरी तरह लक्ष्य स्थिति क्षेत्र में अन्य खदानों के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु हेमोजेनिजिजम निरस्त क्षेत्र में विधायकीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/म./ख.नि./जीन-8/2020/806 रामपुर दिनांक 11/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

(Signature)

अनुमान उमरा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सामंजसिक क्षेत्र जैसे भूविज्ञान, भूविज्ञान, भूगर्भ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्या), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/क./ख.नि./सीन-8/क.म./2020/802 रायपुर दिनांक 11/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु है।
6. **यू-स्वामित्व** - यूपि भी बीरबद जिलानी के नाम पर है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) भी प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी ग्राम-गरदहा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-गरदहा 2 कि.मी. एवं अस्पताल गरदहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. **खनन संयदा एवं खनन का विवरण** - जिब्रोसीजिकल रिजर्व 9,73,700 टन एवं गार्डनेयल रिजर्व 5,20,182 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.38 हेक्टेयर है। गोपन करस्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। जमीन मिट्टी की मात्रा 8,024 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बंध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की समतल आधु 17 वर्ष है। सीज क्षेत्र में जलार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक डैम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
द्वितीय वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
तृतीय वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
चतुर्थ वर्ष	8,000	3	24,000	60,000
पंचम वर्ष	8,000	3	24,000	60,000

11. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, पूंछारीपन) हेतु जल की आपूर्ति निम्नलिखित स्रोतों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।



12. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की गहरी (3.531 मीटर) में 500 मम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पर्यावरणीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र को कुछ मार्गों में उत्खनन समीप के लीज क्षेत्र द्वारा किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि ईआईए, रिपोर्ट के पर्यावरणीकरण के पूर्व उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव कर वृक्षारोपण का कार्य कर दिया जाएगा।

14. जलवायवीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नौन कोडल माईनिंग प्रोपोजेक्शन हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (I) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लीज क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस अद्ययम को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

16. माननीय एन.सी.टी., विसिपल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सार्वोदय फाउंडेशन लिमिटेड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 166 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. सार्वोदय फाउंडेशन (व्यक्ति शाखा), जिला-रायपुर को खपन क्रमांक 805/ख.वि./सीन-8/2020 रायपुर, दिनांक 13/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के मोटर 22 खदानें, क्षेत्रफल 34.25 हेक्टेयर है। आवेदित खपन (घाम-नरदहा) का पक्का 1558 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-नरदहा) को मिलाकर कुल रकम 36.81 हेक्टेयर है। खदान की सीमा के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'डी' श्रेणी की मानी गयी।



2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमेंट्री जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचार्य उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षादीपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबा साहेब आंध्र प्रदेश, संघालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इलाहाबाद नदन, तथा रायपुर जटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा निम्नलिखित उपायों सर्वसम्पत्ति से प्रारम्भ की जायेगी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड्स टर्मा ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई-आई-ए /ई-एम-पी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्टरनैशनल सर्वेयर्स अफ्टर ई-आई-ए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (सोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the details of top soil management.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

शाब्द स्तर पर्यावरण समन्वय निदेशन प्रक्रिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की तदनुसार सुचित किया जाए।

7. मैसाई शिव शक्ति मेटल्स (टाकरामुड़ा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-टाकरामुड़ा, तहसील-लौहाडीगुड़ा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 248)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/25498/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/

48295/ 2018 दिनांक 28/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय सवीकृति प्राप्त करने हेतु ईआर/ए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

परसाव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2018 को पूर्व से संचालित भूला काथर (मृदा खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-टाकनागुडा, खानील-लोहावीगुडा, जिला-बस्तर विद्यत वस्तर क्रमांक 278/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 2.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 45,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2018 के परसाव बिना पर्यावरणीय सवीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की संपी का है। इस प्रकरण में समिति की 273वीं बैठक दिनांक 27/03/2018 को चुनवाई की गई, जिसमें दीर्घोत्तर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम परसाव का अनापत्ति प्रमाण पत्र - ग्राम परसाव टाकनागुडा द्वारा दिनांक 15/08/1999 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - सांख्यिकीय इन एगुवाड सर्वेिंग स्थल विद्यत क्षेत्रीय साइल क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय ग्राम निवासीक भारतीय ज्ञान स्रोत शयपुर के ज्ञान क्रमांक बस्तर/सुप/खमी-1157/ 2018 सखुर दिनांक 12/07/2018 जो वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - जगदीश्वर कलेक्टर (खनिज साधन) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञान क्रमांक 2277/खनिज/खलि.1/ख.18/ 2018 जगदलपुर दिनांक 20/09/2018 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वन मंडलधिकारी, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर के ज्ञान दिनांक 11/02/2019 के अनुसार "आवेदित भूमि वन क्षेत्र कल क्र. पी/1814 किरिसगुडा से 3.3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।" द्वारा बताया गया है।
5. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - समीपस्थ आमादी ग्राम-टाकनागुडा 0.53 किलोमीटर एवं शहर जगदलपुर 20.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थल एवं ग्रामपंचायत मंडलिकल ग्राम-टाकनागुडा 0.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन सीमापाल 14.3 किलोमीटर की दूरी पर है। राजमार्ग 0.74 किलोमीटर है। इन्द्रावती नदी 1.8 किलोमीटर की दूरी पर है।
6. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना परसावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
7. लीज का विवरण - लीज डीथ मेसर्स सिंग राशि मेटल्स की वरम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 17/09/2002 से 16/09/2022 तक की अवधि हेतु है।
8. खनन शेषता एवं खनन का विवरण - गार्डनेबल रिजर्व 4,00,448 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1.5 मीटर (0.41 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। लीज कास्ट-रेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में उत्खनन की



गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर होगी। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। कचरे की मिट्टी की गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.5 वर्ष है। डिजिटल एवं कन्ट्रोल ब्लाईटिंग किया जाता है। जल की मात्रा 7.295 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल की आयु 10 मीटर टैंकर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र को घाटे और 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 500 मग पुनारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	Actual उत्खनन (टन)
2013-14	—	—
2014-15	14,940	3,233
2015-16	14,985	14,328
2016-17	14,963	9,328
2017-18	14,985	—

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018-19	45,000
2019-20	45,000
2020-21	45,000
2021-22	45,000
2022-23	45,200

नोट: शक्तिता में परामर्श के बाद के अंकों को सार्वजनिक किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., उत्तीरागढ़ के ड्राफ्ट दिनांक 25/08/2019 द्वारा अधिसूचना क्र. 04/1033 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरिमेंट इम्पैक्ट असैसमेंट रिपोर्ट इन्व्हीयरिमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रशासित भेपी 1(ए) का स्टैन्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) सीन कोल न्यूनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्टें जारी हुई—

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोलीटर के अंतर्गत 8

स्थानीय एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानीय पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानीय पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानीय पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानीय पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 27 से 38.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 68.4 से 84.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 10.8 से 14.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 18.3 से 18.3 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल सतहों की गुणवत्ता मरुतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 53.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.1 डीबीए से 35.8 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/03/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी सत्र की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार ध्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(iv) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जोरित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत होने पर अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 16/06/2020 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(vi) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रकरण में प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन किटू इनवायरी कंसल्टिंग भोपाल की ओर से भी विषय साहू उपस्थित हुए। उनसे द्वारा बताया गया कि उनका स्टाफ्युव लोक नहीं होने के कारण समिति के समक्ष आज प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। जब प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि दिये जाने का अनुरोध किया गया। जिससे समिति द्वारा धन्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी आयोजित बैठक में पूर्व में साही गई जोरित जानकारी एवं समस्त सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई-बिल दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से सूचित किया गया।

(ए) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 10/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आगोजित बैठक में पूर्व में जारी हुई सखित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सखित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020 के परिप्लव में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-बिल दिनांक 15/08/2020 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(ई) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आगोजित बैठक में पूर्व में जारी हुई सखित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(व) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी सूर्य सेक्टर लिमिटेड, अधिपूत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सजाहकार को साथ में मेशरी ड्रम रिट्ट ड्रिफ्टर केक्टर, पोवाल की ओर से भी विजय सारू उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. कॉर्पोरेट फर्माकरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Rupee)	
45	2%	0.90	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Takraguda	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Drinking water facility	0.20
			Running water facility for toilets	0.12
			Plantation with fencing	0.24
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
Total			0.91	

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उत्खनन नहीं किए जाने की संज्ञा में हस्ताक्षर (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
- ईआईए रिपोर्ट को अनुसार परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में Schedule-I species को वन्य जीव अभयारण क्षेत्र में पाये गये है। टी.डी.एन. के बिन्दु क्रमांक 18 को अनुसार अभयारण क्षेत्र में Schedule-I species को वन्य जीव होने पर उनके संरक्षण हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग से परामर्श कर फलन तैयार किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त फलन तैयार कर क्षेत्र की संयुक्त वन प्रबंधन समिति को वन्य जीवों को संरक्षण हेतु विलीय सहमता प्रदान किये जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग सुरक्षित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त सुरक्षित क्षेत्र को पुनर्भरण कर पुनरोपन का कार्य किया जाएगा। इस बाबत राफ्त पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- वास्तविक है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक 11(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेफ्टी ज़ोन में पुनरोपन किया जाना आवश्यक है।

6. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

- उक्त खदान में दूर से पर्यावरणीय स्थिति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण को सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुए पर्यावरणीय क्षति को ध्यान



सुनिश्चिता नहीं करते हूँ। उल्लंघन किया गया है, जिसके कालसूचक मॉडरियल उल्लंघन, इधर, परिष्कृत नो वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिष्कृत से परिष्कृत वायु में 0.1237 माईक्रोग्राम / घनमीटर पीएम₁₀ की वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के बाहरी और इधर पॉइंटका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन में पुनर्स्थापना नहीं करने के कालसूचक पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न कार्मुक के अन्वय पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:-

$EC = P \times N \times R \times S \times LF$ <p>Where: EC - Environmental compensation in Rs. P - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of violation took place R - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation LF - Location Factor</p>
--

Environment Compensation = $P \times N \times R \times LF \times S$

No of days (N) = $(250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$

$$= (250 \times 13,834) / 14,985 = 231$$

Environment Compensation = $80 \times 231 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 4,62,000/-$

= say Rs. 5,00,000/-

- iii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को सम्मन 322वीं बैठक में Environmental Compensation के अंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेनडिपल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 5,00,000 की गणना को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उल्लंघित क्षेत्र को पुनर्स्थापन कर पुनर्स्थापन का कार्य 6 माह के भीतर किये जाने हेतु राफ्त पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उल्लंघन क्षेत्र में Schedule-I species को अन्य जीव के संरक्षण हेतु वन/वन्य जीव विभाग से परामर्श उपरांत योजना विचार कर, वन विभाग को राफ्त अधिकारी के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation को रूप में राशि 5,00,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आरा-पारा के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रंगीट हाईस्कूल परिसर, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं पुनर्स्थापना किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (अनुमोदित स्कूल/ महाविद्यालय/

संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवाह-खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 5,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी एवं समतुल्य कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर जल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में दिनांक 06/11/2020 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री प्रसाद सिंह (सलिहा साईल/ऑर्डिनरी कार्टे ड्वारी), ग्राम-सलिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नर्सरी क्रमांक 1080)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 128570/2019, दिनांक 27/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से जापन दिनांक 07/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित जानकारी दिनांक 19/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सलिहा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव विस्तार-खदान क्रमांक 252, 258, 263, 255/3, 279, 267, 262, 250, 270, 260/2, 275, 264, 263, 248, 255/1, 259/2, 266, 253, 269, 265, 281/1, 257, 258, 272, 279/1, 259, 267, 276/2, 288, 273, 305/1 एवं 305/2 कुल क्षेत्रफल - 3.589 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) सचिवालय की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

सचिवालय द्वारा प्रकरण की गती एवं प्रस्तुत जानकारियों का परीक्षण तथा विचार-विमर्श चपरासत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. पूर्व में आवेदित सजाय पर खानन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्माण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिरोकित स्तरों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेषण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विनत कार्यों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सार्वजनिक विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आई.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण से साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री अमर कुमार वर्मा (कराईवा रोड मार्टिन, राम-कराईवा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा), निवासी-करखाना एरिया, कटघोरा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1416)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 178458 / 2020, दिनांक 10/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सींग खनिज) है। यह खदान राम-कराईवा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा स्थित करारा क्रमांक 430, कुल क्षेत्रफल - 11.608 हेक्टेयर में से 2.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान अहिंस नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 30,360 घनामीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विशार विभागीय तहसील सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से याद की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 120 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का डिंड बनाकर, वर्कप्लेन में रेत सतह से लेवल्स (Levels) लेकर डिंड गैंग में प्रवेशित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन सीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। जबकि लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किये जाये। डिंड गैंग में टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रभावीकरण तहसील फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी से याद की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) लक्ष्य जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नगरी पर दर्शाकर, इसके उत्स्रेख माईनिंग प्लेन में अतिव्याप्य रूप से दर्शाया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीज पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल की निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाधा/ जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक

है। यदि शीत क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी को अपर स्थित हो, तो उपरोक्त खदान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार सखी पर विहित कर, प्रस्ताव नौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस कार्य उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गहनाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर पर कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहनाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहनाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघर निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण अध्याय जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अपेक्षित कर्तव्य के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसहमत सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्लांटोपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसहमत सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व दिवसों के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसहमत) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

3. श्री नरोज कुमार पाम्देम (पहवा रोम्ड माईनर, ग्राम-पहवा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर), हरिजन पारा, ग्राम ब पोस्ट-कोटभीरोना, तहसील-अकलवरा, जिला-जाजगीर-बांधा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1417)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीपी / एमआईएन / 178729 / 2020, दिनांक 12 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संयोजित रेत खदान (तीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-पहवा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 111, कुल क्षेत्रफल - 4.75 हेक्टर में है। उत्खनन अरवा नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 27,048.4 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345 वी बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रारम्भ की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श चर्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र की पहली प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुना 25 मीटर का विंड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर विंड में प्रवेशित कर प्रस्तुत किये जाएं। इससे अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एस. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। विंड में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, तबों पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नदों पर विहित कर, इसका नीचे पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भंडारण क्षमता के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मरदा (MR) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूरे में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्तों को पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूचनापत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूरे निवर्तन के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निर्देशक एवं परिशोधन प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित डेटा में

(Signature)

उपरोक्त समस्त दस्तावेज जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री मनोज कुमार शाण्डेय (कौनघरा रोपड़ भाईन, घाम-कौनघरा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर), हरिजन गांव, घाम व पोस्ट-कटमीसीनार, तहसील-अकलतवा, जिला-जाजगीर-बांधा (संनिवालय का नक्सा क्रमांक 1418)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एस्आईए / सीजी / एम्आईएन / 172036/2020, दिनांक 14/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (भीम खनिज) है। यह खदान घाम-कौनघरा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित खदान क्रमांक 212/1, कुल क्षेत्रफल - 4.8 हेक्टेयर में है। उत्खनन अरवा नदी से किया जाता है। खदान की आरेखित उत्खनन क्षमता - 43,700 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346 वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सभ्यसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित नया एवं प्रस्तावित नयाल के अपरस्ट्रीम तथा आउटरस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का पिंड लगाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर पिंड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन सीमा के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) को भी दर्श किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। रेत में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अभूतख खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो इसकी गणना कर, नक्से पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करवाया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतीक्षित क्षेत्र को भीके पर खनिज विभाग से तीर्मांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित नयाल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी वास्तु जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपरस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा आउटरस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखी जाये। आउटरस्ट्रीम में। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतर



पर खनन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, प्रस्ताव नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

- 5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जन्मे के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गज्जा (2m) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
- 6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्ध्यात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीराज्य अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीराज्य द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिचित शर्तों की पालन में की गई जायकारी की जानकारी फोटोघ्राफत सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुष्कारोपण की अद्यतन निशानि की जानकारी फोटोघ्राफत सहित प्रस्तुत की जाए।
- 7. निगत शर्तों में दिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित बना कर प्रस्तुत की जाए।
- 8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।
- 9. खनि निरीक्षक एवं परिवोधना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलत (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्ता समस्त सुरंगत पत्रकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघ्राफत) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परिवोधना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेराला निशया फलेग स्टोन खारी (पी- श्री अमर दास कुरै), ग्राम-निशया, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचियालय का नस्ती क्रमांक 1127)

ऑनलाईन आवेदन - घोषजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएन / 138407 / 2020, दिनांक 12 / 01 / 2020। परिवोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 30 / 01 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवोधना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 14 / 10 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवाचित फलेग स्टोन (पीग खनिज) खदान है। खदान ग्राम-निशया, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1340, कुल क्षेत्रफल-0.485 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7.0164 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- 1. ग्राम पंचायत के अनामति प्रस्ताव नस्ती की पतनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में आवेदित अथवा पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला पर्यावरण पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघ्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूक्ष्मरेखा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघ्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी धारित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघ्राफस) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिधायना प्रस्तावक को वदामुसार सूचित किया जाए।

5. श्रीमती सिद्धा सिंघल (गढ़ोहापुर विस्तृत अर्ध खले खारी एम्बेड्डेड विस्तृत विमनी प्लॉट), ग्राम-गढ़ोहापुर, तहसील व जिला-सूरजपुर (समिवालय का पत्ती क्रमांक 1410)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीबी/ एमआईएम/ 179070/2020, दिनांक 15/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - जा पूर्व से संघालित मिट्टी उत्खनन (सीन खनिज) खदान एवं विमना विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-गढ़ोहापुर, तहसील व जिला-सूरजपुर विस्तृत खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल - 1.73 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2242.04 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता - 14,22,289 नम प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की पत्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित अथवा पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला पर्यावरण पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघ्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूक्ष्मरेखा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघ्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी धारित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी महीने की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेजर अमित एन.सी. प्रो.— श्री आशीष अग्रवाल (पुरनाधानी रोड मार्ग, ग्राम—पुरनाधानी, तहसील—देवनाग, जिला—गरियाबंद), अर्जुन इनवलेव, भीरव नगर, गोकुल नगर रोड, संतोषी नगर, तहसील व जिला—रायपुर (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1395)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 173467/2020, दिनांक 18/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रभुता ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरा से संघालित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम—पुरनाधानी, तहसील—देवनाग, जिला—गरियाबंद स्थित खतरा क्रमांक 1, गुल क्षेत्रफल - 4.1 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन लेव नदी से किया जाता है। खदान की अनुदित उत्खनन क्षमता - 67,132 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रारंभ की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र की पंजीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुला 25 मीटर का डिज काटकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल (Levels) लेकर डिज मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (बोधी बांध) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायें। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परी बेस मार्क (Concrete TBM structures) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिज मैप में टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण करवाते फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नदी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकलने वाले पुरे, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुरे / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा आउटरस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीकage क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका सीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भंडाई खनने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गाइदा (Pit) कोदवार उत्तरी वास्तविक महाराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक महाराई हेतु पंथाना भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन विभागात् प्राधिकरण (एसईआईएए), उत्तरीप्रदेश अध्याय विभागात् राष्ट्रीय पर्यावरण संसाधन विभागात् प्राधिकरण (सीईआईएए), उत्तरीप्रदेश द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित स्थल के प्लान में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोप्लान सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही न्यासेम की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्लान सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सैवियर (Surveyor) के साथ अगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त शुरुआत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्लान) सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. मेसर्स श्री चन्द्रमणी सोनी (पितईबंद रोड, गाईन्, राम-पितईबंद, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद), सैक्टर-11, जोन 1, खुशीपार, मिलाई, जिला-दुर्ग (राजिवालव का नस्ती क्रमांक 1364)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीके/ एसआईए/ 173458/2020, दिनांक 16/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियाँ होने से जाण दिनांक 03/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधित जानकारी दिनांक 16/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (नीच खनिज) है। यह खदान राम-पितईबंद, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद स्थित खदान क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल - 49 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सजानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 82,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020



समिति द्वारा प्रकरण की मजदी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ज्ञान संभावना के अन्वयित प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के किनारे की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अन्वयित तथा आवनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, वर्तमान में रेत उत्खनन के लेवल्स (Levels) लेकर चिह्न में उपरोक्त कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में आरएस, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। चिह्न में 2 टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर या नदी के किनारे की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खनन के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उरखी गणना कर, नती पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खनन के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन करके, प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नली की दूरी बाका जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खनन के अन्वयित में न्यूनतम 300 मीटर तथा आवनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीके क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नती पर चिह्नित कर, उरखी सीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इन बाका उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु परामर्श भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ अध्याय जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त रतों के फालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य ही सुसरोधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विनियुक्त प्रस्ताव पूर्व विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।



10. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में लेट को लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्या सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटिंगप्लान) सहित प्रस्तुतिकरण विधि ज्ञान हेतु निर्देशित किया जाए।

यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुधारा किया जाए।

9. मेसर्स वैडॉन इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वाम-चिराईधानी एवं तुमिडीह, ताडसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (सचिवालय की नस्ली क्रमांक 1421)

ऑनलाईन आवेदन- प्रयोजन नम्बर - एस्आईए/ सीपी/ आईएनडी/ 57580/ 2020, दिनांक 18/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाम-चिराईधानी एवं तुमिडीह, ताडसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ स्थित खराहा क्रमांक 17, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 25, 27, 29, 31/2, 31/3, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6 एवं 40/7, कुल क्षेत्रफल - 15,474 हेक्टेयर में खेज आवरण प्लांट (2x85 टीपीसी बीजलखाई मिल) क्षमता - 62,700 टन प्रतिवर्ष इन्डकेशन कर्नेस (एमएस मिलेएस/इमाटर) क्षमता-1,98,000 टन प्रतिवर्ष (3x12 टन), रोलिंग मिल (टीएमपी बार/स्ट्रक्चरल स्टील/गैल्व प्रोडक्ट) क्षमता - 1,92,000 टन प्रतिवर्ष (2x300 टीपीसी), पीपर प्लांट (20 मेगावाट) इंधन एच.आर.पी, वेस्ट पीपर प्लांट - 5 मेगावाट (2x12 टीपीएम) एवं एक बीसी बेसब पीपर प्लांट - 15 मेगावाट (1x72 टीपीएम) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020-

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारों का परीक्षण तथा विचार विमर्श सफलतापूर्वक सम्पत्ति हो निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. वर्तमान में स्थापित इमाटर्स हेतु पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी सन्धि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही को विन्तुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि इन्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इन्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में सी-हीटिंग कर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? क्षमता विस्तार के लक्ष्य रोलिंग मिल में सी-हीटिंग कर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? सी-हीटिंग कर्नेस स्थापित है तो सी-हीटिंग कर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर किन्ती की ऊँचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। वर्तमान में स्थापित इन्डकेशन कर्नेस की संख्या, क्षमता, इसमें स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं स्थापित किन्ती की ऊँचाई संबंधी जानकारी प्रस्तुत सहित। क्षमता विस्तार के लक्ष्य रोलिंग मिल में यदि सी-हीटिंग कर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो सी-हीटिंग कर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा,

प्रयुक्त ईंधन के आधार पर मिनी की लंबाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. सम्मति प्राप्त स्थापित इकाया में उत्पादन की दरों में एवं क्षमता विस्तार उपरान्त उत्पादन की दरों में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (सब्सिडी उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अवशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
5. सेक्टरल प्रदूषण कंट्रोल आथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्विंटिकल अथवा क्विंटिकल अथवा बॉक्स जॉब जॉब के अंतर्गत आने बाबात जानकारी प्रस्तुत की जाये। प्रदूषण कंट्रोल उपयोग करने हेतु सेक्टरल प्रदूषण कंट्रोल आथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित सार्वजनिक वाटर सिप्राई व्यवस्थाओं एवं सेम वाटर इन्फ्रस्ट्रक्चर व्यवस्थाओं का विवरण (संख्य एवं स्टाईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
7. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावों (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की अद्योक्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्रीमती प्रतिभा कटरे (बबेला रोड नाईन, धाम-बबेला, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर), सुपेला, मिलाई, जिला-दुम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1423)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/1738-18/2020, दिनांक 19/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संघालित रेत खदान (सीम खनिज) है। यह खदान धाम-बबेला, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर स्थित खदान क्रमांक 521/11, गुज डीपवेल - 5 टैबलेट में है। परखनल खान्की नहीं से किया जाता है। खदान की आवेदित परखनल क्षमता - 31,038.5 क्यूमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र को लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट को चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत परखनल हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर का डिग बनाकर, वर्तमान में रेत संचय के लेबलस (Labels) लेकर डिग मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसको अतिरिक्त खनन सीमा के बाहर / नदी तट (दिनी

जोड़) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटबंध की शायी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उच्च लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेस मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेस मार्क (TBM) में ऊपर,एड, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। दिए गए 2 टेम्पररी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण पत्र प्राप्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. भव्योत्थ क्षेत्र खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के बाढ़ की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना समाप्त न हो तो प्रमाणीकरण का नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से जताया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भी नक्शे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकटतम पुत्र, बंध, एन्वीकट एवं जल आपूर्ति नदीत की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुत्र / एन्वीकट की दूरी खदान को अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखे जाने आवश्यक है। यदि जीवा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार भूजल पर विनियम कर, उसका भी नक्शे पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. वेद उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेद की गहराई जानने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक गहराई (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेद की वास्तविक गहराई हेतु पंचसभा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सलाघात निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सलाघात निर्धारण प्रधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में भी गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित पत्र कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसाधक को खदान में वेद के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेया (Surveyor) के साथ आगामी माह की अधीनस्थ ईंटक में उपरोक्त समस्त सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिठे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसाधक को उपानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री मिल्लानंद पाठक (शैरा स्टोन क्वारी), ग्राम-शैरा, तहसील-सामानुजनगर, जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1427) ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17958E / 2020, दिनांक 20 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित सखारन पत्थर (बीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-शैरा, तहसील-सामानुजनगर, जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 287, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10.5186 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श सम्पन्न सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित सखार पत्थर खान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्देशक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), झुंझारगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्रसिक्करण (डी.ई.आई.ए.ए.), झुंझारगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित नक्सी के फाल्स में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुआरीपत्त की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
 2. विगत वर्षों में विद्युत् गद्द उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ अगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवस जाये हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री बखरन पाँवर एम्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1358)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 54995 / 2020, दिनांक 23 / 07 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से अद्यतन दिनांक 25 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माँछित जानकारी दिनांक 20 / 10 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित आयस्क और (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित वन भूखंड क्रमांक 282, 287, 288, 289, कुल क्षेत्रफल - 57 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -



(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः फॉरेस्ट गिलवरीस की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (समिज साख) द्वारा उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में भूदिर, मरघट, अरमघाट, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सभाघरत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरागढ़ अथवा तिरुथ नदीय पर्यावरण सभाघरत निर्धारण प्राधिकरण (टी.ई.आई.ए.ए.) उत्तीरागढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित सती के प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संश्लित है, तो दिगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिकि सभा की जानकारी समिज विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स बीचंद साधरा (कलकसा ज़ाईम स्टोन क्वारी), ग्राम—कलकसा, तहसील—खैरागढ़, जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1393)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईए / 163088 / 2020, दिनांक 12/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियां होने से कारण दिनांक 01/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉरेस्ट जानकारी दिनांक 21/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संश्लित भूख प्रखर (सीमा समिज) खदान है। खदान ग्राम—कलकसा, तहसील—खैरागढ़, जिला—राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 340/2 एवं 341, कुल क्षेत्रफल—0.547 हेक्टर में है। खदान की आवेदित नस्लक्षण भणता—5000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों की 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सड़क खनिज क्षेत्र में अन्य घट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस गिन्टल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज-सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। आर एमटीकानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रतिक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रतिक्रिया (बी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं अधिरोपित शर्तों को पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लारिफिकेशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. नैसर्ग भी सखुहन कोवट (हरदीडीह सेण्ट माईन, ग्राम-हरदीडीह, तहसील-आरण, जिला-रायपुर), भारत विपल, तहसील-अकलतारा जिला-धांजगीर-बांघा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1428)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 180099/ 2020, दिनांक 21/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित रेत खदान (गोम खनिज) है। यह खदान ग्राम-हरदीडीह, तहसील-आरण, जिला-रायपुर स्थित खदान क्रमांक 190, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महामारी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 75,328.8 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-



1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की चौड़ाई एवं गैरबाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का गिड लगाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर गिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतह (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted IBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (IBM) में एर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड में 2 टेम्परी बेंच मार्क (IBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण करवाते फोटोग्राम्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो संसदीय मंजूरी कर, कबले पर दर्शाकर, इसका उल्लेख सर्वेक्षण प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं पुल आधुनिक स्तरों की दूरी बांध-जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपरस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र पर्याप्तानुसार दूरी के अंतर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर विहित कर, उसका नक्शे पर सीमांकन तथा सर्वेक्षण प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की चौड़ाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पि) जोड़कर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियम 2003 के फलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. पिछले वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित यात्रा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विषय के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में

(Signature)

उपरोक्त समता सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

छानि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. मेवारी की दिल्लीय गुफा (मेवारी रोम्ब माईन्, पाग-मेवारी, तहसील-बाढ़कनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज), अमरपुर, मेम्झा, बिलारामपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1429)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीटी/ एमआईएन/ 179999 / 2020, दिनांक 22 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से अधिलेखित रेत खदान (गोप खनिज) है। यह खदान पाग-मेवारी, तहसील-बाढ़कनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खदान क्रमांक 1127, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में है। उत्खनन इरिया नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 71,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार-विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूना 25 मीटर का रिक्त बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के जेपलस Levels लेकर रिक्त मैप में उपरोक्त कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन सीमा के बाहर / नदी घाट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायें। उक्त जेपलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। रिक्त मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्सा पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिवार्य रूप से कराया जायें। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से नितादहन कुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए। कुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त उल्लेख

का खनन हेतु प्रतीबन्धित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार मशीन पर विहित गहराई तक सीमा पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध में उल्लेख किया जाए।

5. वेतन खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, लिखित विचार से प्रभावित जानकारों प्रस्तुत की जाए। वेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचवचना भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के फलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृष्ठांकन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्ष में किए गए खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी ग्रामिक विभाग से प्रभावित कला कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रत्यक्ष पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. ग्राम निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में वेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में पर्यावरण संरक्षक सुसंगत जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

ग्राम निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुधिया किया जाए।

16. मेसर्स सत्यकौशल माईन्स एण्ड मिनरल्स (अकलतरा जोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम व तहसील-अकलतरा, जिला-जाजगीर-बांधा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1430)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीपी / एमआईएन / 180211 / 2020, दिनांक 23 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित जोलोमाईट पत्थर (पीपल ग्रेनाइट) खदान है। खदान ग्राम व तहसील-अकलतरा, जिला-जाजगीर-बांधा स्थित खसरा क्रमांक 873/2, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित वार्षिक क्षमता-15,532.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण को नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त शर्तसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के फलन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अवलोकन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्ण हो सम्पन्नित है, तो दिनांक वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवधान फोटोग्राफ) को साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स श्री वैभव सज्जुजा (बी-1 मोस्ती रोड मार्डन, राम-बोरही, तहसील-बाधा, जिला-जाजगीर-बाधा), आरटीएच पलोर, डीडबानिया रिजेंसी, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1307)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एफआईएन/ 154304/ 2020, दिनांक 28/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन से तमिची होने से ज्ञापन दिनांक 09/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 22/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सींग खनिज) है। यह खदान राम-बोरही, तहसील-बाधा, जिला-जाजगीर-बाधा स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन इसरोव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन समता - 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) सचिवालय की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जांचवाही प्रस्तुत की जाए।
2. नदी उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर का सिंक बनाकर, वर्तमान में रेत साह की लेवल्स Levels लेकर सिंक में उदासीत कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आरएल को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिंक में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित, जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. सर्वोच्च से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के बाढ़ की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी मरम्मत कर, मकई पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अधःस्तर में न्यूनतम 500 मीटर तथा आपनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार मकई पर चिह्नित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (एनईआईएए), कर्नाटक अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण (जीईआईएए), कर्नाटक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित जार्ड में पाउन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसाफ्त सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की अपेक्षित बैच में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसाफ्त) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

18. मेसर्स श्री सोनेश इन्कलिथा लाईम स्टोन क्वारी, राम-बुधरडीहकला, तहसील ब डिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1371)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एनआईए / सीजी / एनआईए / 184287 / 2020, दिनांक 25 / 09 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियां होने से कारण दिनांक 29 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22 / 10 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - 111 पूर्व से संश्लिप्त चूना पत्थर (पीप, खनिज) खदान है। खदान राम-बुधरडीहकला, तहसील ब डिला-राजनांदगांव स्थित पार्स ऑफ लान्ड

क्रमांक 108, कुल संख्या-2728 दिनांक 07/11/2020। खदान की आवेदित उत्खनन
समाप्त-8250 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श
अर्थात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों
के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन,
2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार 'कोई क्लस्टर उस समय
बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिचरों के बीच दूरी उस सड़की खनिज क्षेत्र
में अन्य पट्टों के परिचर से 500 मीटर से कम है।' अर्थात् क्लस्टर हेतु
होमोनिमियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के
भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल
खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को
(क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की
दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः
उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्धारण
प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात
निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई
है, जो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के मालन
में ली गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही
पूरावोधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किन्हीं नए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज
विभाग से प्रमाणीत करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण
दिये जाने के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्या पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन
फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने
हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स श्री चेतन आनंद चौधरी (धौरवा सेण्ड माईन्, ग्राम-धौरवा,
तहसील-शोहरगांव, जिला-राजनांदगांव), बी.एन.सी. मिल कॉलोनी, तहसील
श जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1406)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एन.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./
174500/ 2020 दिनांक 28/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत
ऑनलाईन आवेदन में अमिती होने से आपन दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी

प्रस्तुत कम्प्ली हेतु निर्दिष्टित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जगहों पर दिनांक 23/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

इलाका का विवरण - यह पूर्व से संघालित रेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान ग्राम-फोखड़ा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजमार्गवाय विद्युत पार्ट ऑफ खतरा क्रमांक 879, कुल क्षेत्रफल- 3.5 हेक्टेयर में है। खदान शिवनाथ नदी से सिंचा जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत 800 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खदान खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 (ज्यादा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीज की परिधियों को बीच दूरी उस भूदा खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु गोभोडिनिफिकेशन नियम क्षेत्र में विद्यमान खदान की सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर तथा 35 मीटर का चिह्न बनाया, वर्तमान में रेत साह के लेवल्स (Levels) लेवन चिह्न सैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन सीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह के सार्नो (Levels) का भी सर्वे किया जायें। खतरा लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न सैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें शामिल विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. भूदोल से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुपात खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी सफल खतरा भवती पर दर्शाकर, इसका एम्बेडिंग मार्किंग प्लान में अभिवाचन रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा एवं खनिज विभाग से सीमांकन सादर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य प्राकृतिक स्तंभ की दूरी तथा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में

न्यूनतम 500 मीटर तथा माऊन्टस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीड क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर उसका सीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मीटर्ड खानों के लिए प्रति क्वार्टर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी मासिक गड्ढाई का स्थान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की मासिक गड्ढाई हेतु योजना भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित जर्नल के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसाथ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेक्षण की अवतन तिथि की जानकारी फोटोसाथ सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत जर्नल में किए गए उत्खनन की मासिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण दिखाने के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के अंतर्गत (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सारांगत जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोसाथ) सहित प्रस्तुतीकरण दिवस जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स दिल्लीय बिल्डरकोन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पलरी परमिट नंबरी 69), ग्राम-कोनकोना, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरबा (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1431)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 179985 / 2020, दिनांक 23 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित संचारण पाथर (गीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोनकोना, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरबा स्थित खनन क्रमांक B/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 3.15,458.27 टन प्रतिवर्ष है।

पर्यावरण परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.क.ई., कोरबा को पत्र क्रमांक 21011/2/2020-पी.आई.ए. कोरबा/सीजी-1/234 दिनांक 31/10/2020 द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत पथरापत्ती कटावोत क्षेत्र में मेसर्स दिल्लीय बिल्डरकोन लिमिटेड के पर्यावरणीय स्वीकृति समेत आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैचक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अंशोक्तन कर विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मान्य करती हूँ। उक्त के परिधिष्य में परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी अत्यंतित बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टीन टेम्पररी परमिट क्वॉरी (02)), ग्राम-कोनकोना, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरवा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1432)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 180039/2020, दिनांक 23/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पाथर (ग्रीन क्वनित) खदान है। खदान ग्राम-कोनकोना, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरवा जिला खसरा क्रमांक 8/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-232.07907 टन प्रतिवर्ष है।

कार्यालय परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.साई, कोरवा में पत्र क्रमांक 21011/2/2020-पी.आई.एनू, कोरवा/बीज-1/234 दिनांक 01/10/2020 द्वारा भारत गलत परियोजना के अंतर्गत पञ्चराशी कटघोरा क्षेत्र में मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन पर प्रभावितता के अभाव पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैचक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अंशोक्तन कर विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मान्य करती हूँ। उक्त के परिधिष्य में परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी अत्यंतित बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

22. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टीन टेम्पररी परमिट क्वॉरी (01)), ग्राम-कोनकोना, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरवा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1433)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 180099/2020, दिनांक 23/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पाथर (ग्रीन क्वनित) खदान है। खदान ग्राम-कोनकोना, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरवा जिला खसरा क्रमांक

8/1. गुज्र वोजकल-1 हेक्टरेय में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता— 1.78,476.71 टन प्रतिवर्ष है।

जाघातलय परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण, य.काई. कोरबा के पत्र क्रमांक 21011/2/2020-पी.आई.यू. कोरबा/बील-1/234 दिनांक 31/10/2020 द्वारा भारत मल्ल परियोजना की अंतर्गत परचामाली कटधोरा क्षेत्र में मेसर्स दिल्लीय बिल्डकॉन लिमिटेड के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन पर प्राथमिकता को अक्षर पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अवलोकन कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मान्य करती हुये उक्त के परिषद में परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दरलायेन (अद्यतन कोटेशन) के साथ आगामी आयोजित बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

23. मेसर्स दिल्लीय बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट नंबरी (04)), ग्राम-कोनकोना, तहसील-पीडी उपरोडा, जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1434)

पीनआईन आवेदन — एनकाईए / सीजी / एनकाईएन / 57721/2020, दिनांक 23/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित खानदान परखर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोनकोना, तहसील-पीडी उपरोडा, जिला-कोरबा स्थित खतरा क्रमांक 8/1, गुज्र वोजकल-1 हेक्टरेय में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता— 1.80,372.85 टन प्रतिवर्ष है।

जाघातलय परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण, य.काई. कोरबा के पत्र क्रमांक 21011/2/2020-पी.आई.यू. कोरबा/बील-1/234 दिनांक 31/10/2020 द्वारा भारत मल्ल परियोजना की अंतर्गत परचामाली कटधोरा क्षेत्र में मेसर्स दिल्लीय बिल्डकॉन लिमिटेड के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन पर प्राथमिकता को अक्षर पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अवलोकन कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मान्य करती हुये उक्त के परिषद में परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दरलायेन (अद्यतन कोटेशन) के साथ आगामी आयोजित बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

24. मेसर्स दिल्लीय बिल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वॉरी (06)), ग्राम-कोनकोना, तहसील-पीड़ी उपरोडा, जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1435)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 150088 / 2020, दिनांक 23 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (पीथ खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोनकोना, तहसील-पीड़ी उपरोडा, जिला-कोरबा विधत खसरा क्रमांक 8/1, कुल क्षेत्रफल-0.972 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता- 1,73,441.1 टन प्रतिवर्ष है।

सामाजिक परिशोधन निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भवन-ई, कोरबा के पत्र क्रमांक 21011/2/2020-सी.आई.ए. कोरबा/सील-1/234, दिनांक 31/10/2020 द्वारा भारत माता परिशोधन के अंतर्गत उपरोक्त खदान क्षेत्र में मेसर्स दिल्लीय बिल्डकॉन लिमिटेड के पर्यावरणीय स्वीकृति कक्षा आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अधलोकन कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से सम्बंधित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मंजूर करने हेतु प्रकृत के परिषेध में परिशोधन प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आवेदित कक्षा दिनांक 15 / 11 / 2020 में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिशोधन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

25. मेसर्स डी.सी. कन्स्ट्रक्शन (अजगरबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वॉरी (1)), ग्राम-अजगरबहार, तहसील व जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1439)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/सीजी/एनआईएन/ 150038 / 2020, दिनांक 26 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (पीथ खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अजगरबहार, तहसील व जिला-कोरबा विधत खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल-0.074 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता- 44,138.9 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सन्तुलन विधायक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.), आसीएमडू अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुलन

निर्धारण प्रक्रिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रामाणिक बना कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / परतावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ जगामौ बाहू की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

26. मेरासी डी.पी. कन्स्ट्रक्शन (अजगरबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट वर्गरी (2)), ग्राम-अजगरबहार, ताहसील व जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1440)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 180882 / 2020, दिनांक 26 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण गंधन (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अजगरबहार, ताहसील व जिला-कोरबा स्थित खनन क्रमांक 33/1, 33/2 एवं 32, कुल क्षेत्रफल-0.753 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन मात्रा-38,508.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रामाणिक बना कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (जिन्हें फोटोग्राफ) के साथ आपासी गह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरानुसार सूचित किया जाए।

27. गैलरी श्री राजय शर्मा (खेटना सेन्ड माईन, ग्राम-खेटना, तहसील-जेजैपुर, जिला-जांजगीर-बांघा), नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (समिवालय का नक्सी क्रमांक 1308)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 148524/ 2020 दिनांक 28/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से जापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा जलकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधित जलकारी दिनांक 28/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सींग खनिज) है। यह खदान ग्राम-खेटना, तहसील-जेजैपुर, जिला-जांजगीर-बांघा स्थित खसरा क्रमांक 1012 गुला क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की मसौ एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श प्रपत्रात शर्तसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के अपरटीम तथा माइनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुला 25 मीटर का डिग बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर डिग मैप में उपरिष्ठ कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (डोना ओर) से 100 मीटर तक से-बैक में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। सतह लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में ऊपरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किये जाये। डिग मैप में टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रत्यनीकरण प्रपत्रात फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उससे सम्बन्ध कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।



4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की पूरी खदान की उपभूमी में न्यूनतम 500 मीटर तथा साइडलाइन में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जीव बांध उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नष्ट कर विनियत कर उखाड़ा मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की सीटार्ई खनने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (मिड) खोदकर उस्ताली वास्तविक गड्ढार्ई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गड्ढार्ई हेतु पधनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्ण में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरांचल प्रदेश जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड जिला पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित सर्ती के फलन में जो गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडाफत सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूक्ष्मोद्यम की उच्चतम विद्यति की जानकारी फोटोडाफत सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्ण से संबंधित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रयोजित कर कर प्रस्तुत की जाए।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरोधक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की सीटार्ई (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अस्ताली मात्रा की जांचोविता बैठक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / इत्तापेक (अद्यतन फोटोडाफत) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरोधक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. वैधार्ई की संभव सर्ती (देवरीसंगड सौंभ माईन, घाम-देवरीसंगड, लहनील-जीजीपुर, जिला-जाजनीर-बांध), नगर पंचायत शिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1308)

ऑनलाईन आवेदन - प्रवीजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 148530 / 2020, दिनांक 26 / 05 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिन्दी होने से आपन दिनांक 23 / 06 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यचित खननकारी दिनांक 26 / 10 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीप खनिज) है। यह खदान घाम-देवरीसंगड, लहनील-जीजीपुर, जिला-जाजनीर-बांध स्थित खसरा क्रमांक 907, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -



(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नक्शों एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की संचाई एवं भीसाई तथा नदी के घाट की भीसाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी 25 मीटर का विंड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल (Levels) लेकर विंड बैंड में परिचित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन जोन को बाहर / नदी तट (घाटी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेरी बेस मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पलेरी बेस मार्क (TBM) में ऊपर,एक, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विंड बैंड में टेम्पलेरी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हे खनित विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की भीसाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी संभवतः गहराई पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नक्शे पर खनित विभाग से प्रामाणिक करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी माध्यम जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान को अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जोन क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीके पर विभाजन तथा माईनिंग प्लान में इस माध्यम उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भीसाई जानने की लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गण्डा (नद) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनित विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचगत्ता भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), एनटीएसड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), एनटीएसड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नुसारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संबंधित है, तो विभागाध्यक्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक माध्यम की जानकारी खनित विभाग से प्रामाणिक कर कर प्रस्तुत की जाए।

- a. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- b. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जम्मे हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

29. मेराई वी राव प्रकाश जायसवाल (कतड़ी-1 सेम्पल माईन ग्राम-कतड़ी, तहसील-जेजीपुर, जिला-जाजगीर-बांसा), भवानी नगर, सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1310)

ऑनलाईन आवेदन - प्रॉजैक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 149538/2020, दिनांक 28/08/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से प्राचन दिनांक 23/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांछित जानकारी दिनांक 28/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीग खनिज) है। यह खदान ग्राम-कतड़ी तहसील-जेजीपुर, जिला-जाजगीर-बांसा स्थित खसरा क्रमांक 1728, ब्लू शीट क्रमांक-5 इन्वेंटरी में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श संपूर्णत सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के वाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का सिड बनाकर वर्तमान से रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेवन सिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन जेज के बाहर / नदी तट (टोपोग्राफी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। एकल लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) से साउथ, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अधिल किये जाये। सिड में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के वाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इनकी अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उत्खनन माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया



जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्वीत की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा वाटरस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लोक क्षेत्र एपरोक्सिमासुसार दूरी को अंदर स्थित हो तो एनरीकट आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाधक उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पि) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु योजना में प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण अधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण अधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में ऊर्ध्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एच.ई.आई.ए.ए. के पत्र में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसामल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही मुआयना की अवलोकन स्थिति की जानकारी फोटोसामल सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संघारित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनिज निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवलस (Levels) जेने गले सर्वेयर (Surveyor) की साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसामल) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनिज निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

30. मेरगां की राम प्रकाश जायसवाल (करही-2 रोपड़ गाईन ग्राम-करही, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-बांधा), भवानी नगर, सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1511)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 149534/2020, दिनांक 28/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 25/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (नीचे खनिज) है। यह खदान ग्राम-करही, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-बांधा स्थित खसरा क्रमांक 1228, मुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन महामती से किया गया प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,00,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

(अ) समिति की 346 वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नवी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अगस्त सर्वेक्षण से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुमा 25 मीटर का रिड बनाकर, वर्तमान में रेत नाल के लेवल्स Levels लेकर रिड में उदाहृत कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी ओवर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी नाल के गहराई (Levels) का भी सर्वे किया जायें। सजा लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेथ मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी वेथ मार्क (TBM) में एडरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। रिड में टेम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण अर्थात् फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नवी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाए। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण भर प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्तंभ की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र अग्रेक्षणानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अक्षांश पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नवी पर चिह्नित कर इसका सीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई खनने के लिए, प्रति हेमटेयर में कम से कम एक गइटा (PM) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनाभ भी प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निरीक्षण प्रतिक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्ण गइ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निरीक्षण प्रतिक्रिया (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्ण गइ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित शर्तों के पालन में जो गइ कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। बांध ही पर्यावरण की अक्षय स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि बांध पूर्व से संचालित है, तो किंगड वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

(Handwritten signature)

8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में वेत के लेवलर (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी ग्राह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- खाने निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

31. मेसर्स सी खेतान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (नकटी खपरी लाईम स्टोन माईन), घाम-नकटी खपरी, तहसील-तिल्दा, जिला-समपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1441)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 180834 / 2020, दिनांक 27 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पथर (पीम खनिज) खान है। खदान घाम-नकटी खपरी, तहसील-तिल्दा, जिला-समपुर स्थित कुलस क्रमांक 17/10, 17/11, 28, 29/5, 29/7, 29/9, 31/2 एवं 31/3, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,00,426.28 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रक्रिया (एसईआईए), कृतीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रक्रिया (सीईआईए), कृतीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित साई के फाल्स में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। अन्य की सुधारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संतलित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत तब प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी ग्राह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



32. मेसर्स श्री अभिषेक गॉयल (बहिमा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-बहिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-समानुजयंज (सचिवालय का नरती क्रमांक 1447)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 67942 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बहिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-समानुजयंज स्थित खाना क्रमांक 649/12, 14, 43, 33, 39, 34, 35, 48, 41 एवं 32, कुल क्षेत्रफल-2.196 हेक्टर पर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,236 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकल्प को नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्ध्या निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), फलोरागढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्ध्या निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), फलोरागढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के मसल में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसामग्री सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षापेक्ष की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसामग्री सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगाता वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित तथा जन प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसामग्री) के साथ आगामी मही की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

33. मेसर्स श्री सारदा मिनरल्स (प्रो.- श्री आशीष तिवारी, मंदिर हरीद लाईम स्टोन नवारी), ग्राम-मंदिर हरीद, तहसील-आरंग, जिला-राजपुर (सचिवालय का नरती क्रमांक 941)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 40927 / 2019, दिनांक 09 / 08 / 2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था।

वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 180992 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मंदिर हरीद, तहसील-आरंग, जिला-राजपुर स्थित खाना क्रमांक 669, कुल

क्षेत्रफल - 4.048 हेक्टर पर है। खदान की आवधिक उत्खनन क्षमता - 2.96-675 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. फाटीलगाव के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा प्रकरण बी-1 कोटेमरी का होमो को करण नारायण शारदा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पर्ड टर्म अंतिम रिपोर्ट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इनकाउन्ट्री क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैम्पर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) वॉन कॉल माईनिंग प्रॉजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनेल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 28/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत ई.आई.ए./जानकारी का परीक्षण कर पाया गया कि प्रस्ताव ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण का है। पूर्व में समिति द्वारा ई.आई.ए. के प्रकरणों को प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को तमस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्ताव (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी उपरोक्त बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

34. मेसर्स श्री आशीष कुमार चौहान (भांडीपदर रोम्ब माईन्, ग्राम-भांडीपदर, तहसील-दन्तोबाड़ा, जिला-द.ब. दन्तोबाड़ा), नकुलनार, जिला-द.ब. दन्तोबाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1407)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एस.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 175723/2020, दिनांक 28/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मासिक जानकारी दिनांक 28/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गोप्य खनिज) है। यह खदान ग्राम-भांडीपदर, तहसील-दन्तोबाड़ा, जिला-द.ब. दन्तोबाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 424, 429, कुल क्षेत्रफल-4.49 हेक्टर पर है। उत्खनन डकियों से किया जाता है। खदान की आवधिक उत्खनन क्षमता - 44,900 मसमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उचित खदान के 200 मीटर की दूरी में सड़क, मरघट, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने कायदा जानकारी को स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का डिब्ब बसाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर पिछ मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (बैंच) और 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिब्ब मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखा जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी समता कर, बायो गैस पर्यावर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करना जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी कायदा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आकार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नयेसे पर विनियत कर, उशका भीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस कायदा उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचगमा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), फ्लोरोराड अथवा किला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), फ्लोरोराड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त सर्ती के फलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुआरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

(Signature)

10. छानि निरीक्षक एवं परिवर्तना प्रस्तावक को खदान में-रेत को लेवल्स (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अग्रणी माह की आयोजित बैठक में सम्प्रेषण समस्त सुरंगगत जानकारी / प्रस्तावके (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

छानि निरीक्षक एवं परिवर्तना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

35. गैरराई की महालक्ष्मी लाईन स्टोन्स माईन (पी.- की जियोन्ड अधिन्यास), घाम-घनसुली, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर (सचिवालय कार नम्बरी अग्र्यांक 1446)

अनिताईन आयोदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए / सीजी / एमआईएन / 57536 / 2020 दिनांक 26 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाम-घनसुली, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर स्थित खतरा अग्र्यांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14, कुल क्षेत्रफल-2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आयोजित उत्खनन अग्रता-38,018 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020।

समिति द्वारा प्रकरण की गहरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श सम्पन्नत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिवर्ती के बीच दूरी एक सड़क खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिवर्ती से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु डोमोजिनिवस विनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान को लीज सीमा से 500 मीटर से भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों को लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो, शामिल किया जायत चाहिए। अतः सम्प्रेषणानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निषेधक प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ अध्याय जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निरीक्षण प्राधिकरण (टी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसंगड़ द्वारा पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्रों को पूर्व में जारी पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्रों की प्रति एवं अधिसूचित क्षेत्रों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संशोधित है, तो किन्तु वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कक्षा में प्रस्तुत की जाए।



4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आधेदिना बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

36. पंचायत की सुदीप कुमार झा (बैठवेड़ा रोण्ड नाईन्, ग्राम-बैठवेड़ा, तहसील व जिला-नारायणपुर), तहसीलधारा, तहसील व जिला-नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1415)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीडी / एम्आईएन / 178377 / 2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञान दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांजित जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गोम खनिज) है। यह खदान ग्राम-बैठवेड़ा, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित प्लॉट ऑफ चारस्र क्रमांक 120 कुल क्षेत्रफल - 2.23 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुंदुर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन गहराई - 13.000 फुटमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एन.आई.आई, /सीडी सीडी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जावे।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का रिड बनाकर कॉन्क्रीट में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर रिड में इस्तेमाल कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। प्रका लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। रिड में 2 टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पार की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखा जाना है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गहराई कम, नदी पर दर्शाकर, इसका उपरोक्त माईनिंग प्लान में अभिलेख रूप से कराया

(3)

10/11/20

जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके एन खनिज विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी वास्तु जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अगस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा हाउसहोल्डिंग में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीके क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर विस्था ही, तो उपरोक्त अंतर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नवीन वर विन्डिल कर उसका सीके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस वास्तु उल्लेख किया जाए।
6. रेत परखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्लांटोपम की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
8. विगत वर्षों में किए गए परखनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पुन विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. जमी निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित केन्द्र में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / इस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिटे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

37. मेसर्स श्री प्रवेश जैन (गडबैंगल रोड माईन ग्राम-गडबैंगल, तहसील व जिला-नारायणपुर), सोनपुर रोड, जैन स्टील, देवांगन पारा, तहसील व जिला-नारायणपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1414)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 178373/2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कनिधी होने से ज्ञापन दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कनिधित जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से नकलित रेत खदान (गैंग खनिज) है। यह खदान ग्राम-गडबैंगल, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित आई ऑफ खनन प्रस्तावक

801 पुल-वेगकाल-1.833 सेकेंड पर है। उत्खनन कुमुर नदी से किया जाता है।
खदान की आवेदित उत्खनन जमात - 16,330 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रयत्न की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श
एवंगत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एच.ई.आई. / जी.डी.सी. की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की
जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम तथा
डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का पिंड
बनाकर वर्तमान में वेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर पिंड में प्रवेशित कर
प्रस्तुत किये जाये। इनके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (बोती
ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटह की सतह (Levels) का भी सर्वे
किया जाये। एका लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेथ मार्क
(Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी वेथ मार्क (TBM) में
अर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। पिंड में
टेम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण
उपयोग फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की
चौड़ाई का 10 प्रतिशत (तो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसका अनुसार
खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर,
नस्ती पर दर्शाकर इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अतिवर्ष रूप से कराया
जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा पर खनिज विभाग से
सीमांकन करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्तंभ की दूरी
बांध / जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के डाउनस्ट्रीम में
न्यूनतम 500 मीटर तथा अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक
है। यदि बीच क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अवकाश
पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नस्ती पर चिह्नित कर,
इसका सीमा एवं सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेत की मोटाई जानने
के लिए प्रति सेकेंड पर से कम से कम एक गड्ढा (पिंड) खोदकर उसकी वास्तविक
गड्ढाई का मापन कर, खनिज विभाग से अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
वेत की वास्तविक गड्ढाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण
प्रक्रिया (एच.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसमग्र अधिकांश जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट
निर्धारण प्रक्रिया (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसमग्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई
हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित स्तरों के पालन
में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। बांध की
पुनरांकन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वस्तुविका मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेल के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अखतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

38. मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (पार्टनर- श्री आलोक शिवहरे, गुरुमुखी आर्किटेक्चर स्टोन क्वारी), ग्राम-गुरुमुखी, तहसील-अंघागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1449)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 180684/2020, दिनांक 29/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सञ्चालन पत्थर (भीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गुरुमुखी, तहसील-अंघागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव ब्लॉक भाट ऑफ खारा क्रमांक 282, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित पालखन क्षमता- 1,25,000 टन प्रतिवर्ष है।

कार्यालय परियोजना निदेशक, उत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, रायपुर के मेमो क्रमांक 2605/ एसीसी/एल-3 /पीसीजी-09/2020 रायपुर, दिनांक 02/11/2020 द्वारा मेसर्स आलोक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त आवेदित प्रस्ताव पर प्राथमिकता को आधार पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अयत्नोत्पन्न कर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण लोकहित एवं राज्य के विकास से संबन्धित है। अतः उपरोक्त अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अखतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

39. मेसर्स श्री विवेक साहू (लफकेरा रोष्व माईन, ग्राम-खवकेरा, तहसील-राधिम, जिला-गरियाबंद), किशानपारा, शिव चौक, मौबरा, नवापारा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1448)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 180687/2020, दिनांक 29/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित रेत खदान (गोम खनिज) है। यह खदान धाम-सावकीरा, तहसील-शक्ति, जिला-परियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 21, कुल क्षेत्रफल-4.81 हेक्टेयर में है। उत्खनन बघण्डू नदी से किया जाता है। खदान की अनुमानित उत्खनन क्षमता - 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नकली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अंतर्गत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से बाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का डिंड बनाकर वर्तमान में रेत बाटह के लेवल (Levels) लेकर डिंड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इससे अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी लट (बोनी जोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बाटह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जाये। एक लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। डिंड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण अंतर्गत फोटोग्राफा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीलट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी से बाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नकली पर दर्शाकर इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जौज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अखनन पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अवरोधकतानुसार नकली पर चिह्नित कर, उसका सीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फवनाभा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक अध्या जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघटा निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत

- में की गई सर्वेगाढ़ी की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुआरेपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
 9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आनाही माह की आयोजित बैठक में सम्बन्धित सम्स्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

40. मेसर्स विरेन्द्र कुमार सिंह (कर्टी स्टोन माईन), राम-करी, राहनीज-मुम्बड़ा, जिला-सुरगुजा (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1450)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 180843 / 2020, दिनांक 29 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल क्षेत्र (गीमा खनिज) खदान है। खदान राम-करी, राहनीज-मुम्बड़ा, जिला-सुरगुजा स्थित खदान क्रमांक 573/2 एवं 575/2, कुल क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित वार्षिक क्षमता-42,474.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. सचिवालय कन्स्ट्रक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में नदिर, सरपट, अण्डाल, रूज, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने का मात जानकारी की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2000 (यथा संशोधित) में परिभाषित कन्स्ट्रक्टर अनुसार कोई कन्स्ट्रक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उक्त संपूर्ण शामिल क्षेत्र में अन्य प्लॉट के परिसर से 500 मीटर से कम है। अर्थात् कन्स्ट्रक्टर हेतु होनोपेनिवस मिगरल क्षेत्र में विद्यमान खदान की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कन्स्ट्रक्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।



3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोद्वारा सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अवगत स्थिति की जानकारी फोटोद्वारा सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए खदानों की वार्षिक मातृ की जानकारी छानिज विभाग से प्रमाणित खाता कार्ड प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण दिवस को साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवगत फोटोद्वारा) को सभ्य आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

41. बेसर्त नरवडा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री इन्द्र कुमार अठवानी), ग्राम—नरवडा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1330)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीपी / एनआईएन / 54002/2020, दिनांक 23/06/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञात दिनांक 01/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 30/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित खुदा पत्थर (लीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम—नरवडा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर स्थित पार्सेल क्रमांक 1945, प्लॉट संख्या—0.963 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित खनन क्षमता—43.583 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020।

समिति द्वारा प्रस्ताव की सर्तों एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अधस्तात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरावा, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्तों के पालन



में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए।

1. विगत वर्षों में किए गए उखड़नाम की वार्षिक मांछ की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्ताव (अद्यतन कोटेशनस) के साथ अगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्धारित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

42. वेसर्स की मोहन लाल अडवाल (मोहनदत्ता डोलीमाईट स्टोन माईन), ग्राम-मोहनदत्ता, तहसील-फथरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1452)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्पाईएन / 87908 / 2020, दिनांक 31 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलीमाईट (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोहनदत्ता, तहसील-फथरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 863/1, 863/2, 954, 958/2, 862, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/3, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उखड़नाम क्षमता-94,335 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020-

समिति द्वारा प्रकल्प की नसीब एवं अनुरोध जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधि/एन आधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निधि/एन आधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित नसीब के प्रकल्प में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उखड़नाम की वार्षिक मांछ की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

43. मेसर्स सहसपुर लोहाघाट लाईन स्टीन गार्डिन (प्री- मोहम्मद अख्तियार मेमन), ग्राम-सहसपुर लोहाघाट, तहसील-सहसपुर लोहाघाट, जिला-कबीरवाहन (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1454)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57937 / 2020, दिनांक 31 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पक्कर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सहसपुर लोहाघाट, तहसील-सहसपुर लोहाघाट, जिला-कबीरवाहन स्थित सरास क्रमांक 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5, 984/2, 984/3 एवं 984/4 गुज्र होखाल-218 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आयोजित अनुमति संख्या-52000.03 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020।

समिति द्वारा प्रकरण को नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आयोजित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय प्रतिक्रिया दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित जमीं के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथक्करण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए अनुमति की वार्षिक मंचा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

44. मेसर्स शिवशा मिनरल्स (पार्टनर- श्री मनीष कुमार अडवाल), ग्राम-समती, तहसील-पथरिया, जिला-सुरेती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1453)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 57932 / 2020, दिनांक 31 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जमती, तहसील-पधरिया, जिला-मुनेली स्थित खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 88/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 116, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल-4.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,01,316.88 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समन्वय निदेशन प्राधिकरण (एसई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निदेशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघ्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुसरोपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघ्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संवर्धित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघ्राफ) के साथ आगामी महत्व की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

45. वेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन्, पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम-किरना, तहसील-पधरिया, जिला-मुनेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1451)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57900/2020, दिनांक 31/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किरना, तहसील-पधरिया, जिला-मुनेली स्थित खसरा क्रमांक 486, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल क्षेत्रफल-4.63 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,00,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में भंडार, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंध जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबाल्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षाटोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोबाल्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोबाल्स) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

46. मेसर्स श्री मुकेश अडवाल (भेलाईखुर्द लाईम स्टोन माईन), ग्राम-भेलाईखुर्द, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1457)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीई/ एमआईएन/ 180833 / 2020, दिनांक 03 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-भेलाईखुर्द, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित कसरा क्रमांक 8/2/2 एवं 6/22/2, कुल क्षेत्रफल-1.318 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-23,512.3 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

- में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। संचय की पुनरावृत्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्ण से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की प्रस्तावित माह की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ खानगी माह की अद्यतनित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

47. **शेखर श्री मोहम्मद सलीम बेगम (पारागांव रोपड गाईन ग्राम-पारागांव, सहसूल-आरंग, जिला-रायपुर), लक्ष्मील-कटघोरा, जिला-कोरबा (सविभाग्य का नस्ती क्रमांक 1450)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीसी / एनआईएन / 181836 / 2020, दिनांक 03 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संभावित है खदान (सीधे खनिज) है। यह खदान ग्राम-पारागांव, सहसूल-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खानगी क्रमांक 1588/1822, कुल क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 34,070.68 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की जमाई एवं सीमाई तथा नदी के घाट की सीमाई को पालकाटी प्रस्तुत की जाए।
2. यह उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित खान की उपरतीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुखा 25 मीटर का सिड बनाकर, वर्तमान में यह सहाय के लेवल (Levels) लेकर सिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खान लीज को सहाय / नदी तट (टर्मो ओवर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाय के स्तरों (Levels) का भी जांच किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेनररी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेनररी बेंच मार्क (TBM) में ऊपर एक, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। सिड मैप में टेनररी बेंच मार्क (TBM) को भी उजागर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण सहाय फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 75 मीटर या नदी के घाट की सीमाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार



खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अभिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कथंकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

- 4. प्रस्तावित खान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं ताल आधुनिक स्तरों की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा बाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि तीव्र क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंधा स्थित हो, तो उपरोक्त अंधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका सीके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
- 5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई-जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (मि) खोदकर उसकी वार्षिक गड्ढाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक गड्ढाई हेतु योजनामा की प्रस्तुत किया जाये।
- 6. पूर्व में आयोजित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्देशन प्रतिकारण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिकालन (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में ही नई कार्यवाही की जानकारी फोटोसत्यापन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षापनन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसत्यापन सहित प्रस्तुत की जाए।
- 7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
- 8. नॉर्टाईज्ज (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- 9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को साथ आगामी गट की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोसत्यापन) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

48. मेजर श्री आनंद कुमार अग्रवाल (कुरुद (कुटेला) रोड माईन, ग्राम-कुरुद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर), शिव कॉम्प्लेक्स, निम्न रेलवे स्टेशन क्रशिंग विधानसभा रोड, राहुड़, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 1458)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 181604 / 2020, दिनांक 03 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (मौख खनिज) है। यह खदान ग्राम-कुरुद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल क्षेत्रफल - 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आउटरींग तथा आइसोस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का डिग बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर डिग गैज में उपस्थित उन प्रस्तुत किये जायें। इसमें अतिरिक्त खनन लीज की गहराई / नदी तट (डोन्टी जॉर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह को पारी (Levels) का भी माप किया जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में ऊपर-दल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिग गैज में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसमें अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, स्वतः पर एसाइर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौकों पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आउटरींग में न्यूनतम 500 मीटर तथा आइसोस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जल आपूर्तिक ही। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी को तजरद विधत हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार स्वतः पर विनिर्दिष्ट कर, उसका मौकों पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इन बाधक उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गहरा (1m) चौड़ाकर उदासी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निवारण प्राधिकरण (एसईआईएए), प्रत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निवारण प्राधिकरण (डीईआईएए), प्रत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिदापित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अवलोकन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मापन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान में रेत को लेबलना (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को तदनुसार सुचित किया जाए।

49. वैशाली डी प्रदीप कुमार शर्मा (बाईना कले माईन), ग्राम-रेनाकठेरा, तहसील-सोहरगढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 388)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईए / 44502 / 2018, दिनांक 26/10/2018। परियोजना प्रशासक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिष्ठी होने से जायज दिनांक 21/11/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रशासक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संघारित बाईना कले माईन (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रेनाकठेरा, तहसील-सोहरगढ़, जिला-राजनांदगांव विधात खसत क्रमांक 062, कुल क्षेत्रफल-2.28 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उद्योगन क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) सचिवालय की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), झरनीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), झरनीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. दिगत वर्षों में किए गए परखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रशासक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रशासक को तदनुसार सुचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4:

परियोजना प्रस्तावकों से संबंधित जानकारी /
दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर
पर्यावरणीय स्वीकृति / टीजीआर हेतु निर्णय
लिया जाना।

1. मेसर्स श्री शैलेन्द्र कुमार साहू (बीएमएच लाईन स्टोन माईन),
ग्राम-मोहनपुरा, तहसील-डोंबरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का
नस्ती क्रमांक 1226)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/
148977 / 2020, दिनांक 04 / 03 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन
आवेदन में कमिटी होने से जापन दिनांक 13 / 03 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत कार्य
हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित जानकारी दिनांक
17 / 03 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघाक्षित युवा पथर (ग्रीण खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-मोहनपुरा, तहसील-डोंबरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खदान क्रमांक
209, कुल क्षेत्रफल-0.769 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित एलानन कक्षा -
4.940.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण
प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत
निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई
हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित गती से फालन
में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्रामत सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही
प्राचुरीय की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोप्रामत सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघाक्षित है, तो विगत वर्षों में किए गए उपखनन की
पारस्परिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की
जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की
जी.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment
Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन
फोटोप्रामत) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने
हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक
23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02 / 06 / 2020:



प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वीलेन्द्र कुमार साहू, प्रोफेसर्डेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रखनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौरवा का दिनांक 03/02/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रखनन योजना - जारी प्लान एलांग विर जगदी कलेंडर प्लान विथ इन्फार्मेशन मिनिजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप सहायक (खनि,प्रशा.) जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक ज/खलि./तीन-8/2017/471 रायपुर, दिनांक 04/08/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/4040/खलि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/12/2019 से अनुसार अधोदिता खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/4040/खलि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, सरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एबीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है, जिले में लीज श्री वीलेन्द्र कुमार साहू के नाम पर है, लीज डीज 05 वर्ष अधीन दिनांक 02/11/2009 से 01/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। सपरभाण लीज डीज दिनांक 02/11/2014 से 01/11/2039 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिनूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वन मण्डल, जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक /सा.वि./3065 राजनांदगांव, दिनांक 18/07/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम जाबदी ग्राम-नीलमट्टा 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-नीलमट्टा 0.8 कि.मी., रेलवे स्टेशन 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। सिवन्ध नदी 1 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रमुख नियंत्रण पीई द्वारा घोषित क्रिस्टिगली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का भीषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
10. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व स्वयं 1,75,102 टन एवं माईनेबल रिजर्व 52,641 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 41,377 टन है। लीज क्षेत्र के पारों कोर 7.5 मीटर (0.248 सेक्टर) क्षेत्र होता है। औषध कारखाने से निकलनेवाला गंधि से प्रखनन किया जाता है। प्रखनन की प्रस्तावित

अ

अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3480 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जीक हेमल से डिप्लिन एवं कंट्रोल प्लानिफिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	887	1.5	1,330	3,328
द्वितीय वर्ष	914	1.5	1,371	3,427
तृतीय वर्ष	935	1.5	1,400	3,508
चतुर्थ वर्ष प्रथम बंध	508	1.5	762	3,761
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बंध	485	1.5	727	
पंचम वर्ष	1,082	1.5	1,623	3,945

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे वर्ष	1,106	1.5	1,659	4,147
सातवे वर्ष प्रथम बंध	221	1.5	331	4,324
सातवे वर्ष द्वितीय बंध	932	1.5	1,398	
आठवे वर्ष	1,231	1.5	1,846	4,618
नौवे वर्ष प्रथम बंध	418	1.5	627	4,849
नौवे वर्ष द्वितीय बंध	475	1.5	712	
दसवे वर्ष	1,319	1.5	1,978	4,948

नोट: तालिका में वर्णनामक की बाद की अंकों को अनुमोदित किया गया है।

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विद्यमान किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकालावधि उपरान्त अपनवाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु रोम्बुल साइप्लेक मीटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
12. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहराई में 1,200 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. प्रस्तुतीकरण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया जा सकता है।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में पूरा पाथर खदान खसरा क्रमांक 209, कुल क्षेत्रफल — 0.769 हेक्टेयर, क्षमता — 4946.25 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला



राष्ट्रीय पर्यावरण सम्पादन निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार पूरकरोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आदेश क्रमांक/324/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विनत वर्षों में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2009	100
2010	380
2011	320
2012	350
2013	410
2014-17	निरंक
2018	4,357
2019	2,900

- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा अग्रगत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt. Primary School Village-Mohbhattha	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water	0.50
			Running Water facility for toilet	0.20
			Total	1.36

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की बाहरी परिधि (उल्लंघन की लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में किये गये अनिर्दिष्ट उल्लंघन क्षेत्र की मरम्मत (संरचनात्मक एवं गहराई सहित), उल्लंघित क्षेत्र को भरना हेतु प्रस्ताव का विवरण लघु कार्य पूर्ण किये जाने का समय के साथ राफ्त धरा प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षादीपन किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. स्वयं निरीक्षण को उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एन.ई.ए.सी., अस्तीरागढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2020 को परिषद ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 15/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज का अद्यतन एवं परीक्षण करते यह निम्न स्थिति पाई गई—

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त उल्लंघित क्षेत्र को दिसम्बर, 2020 को भीतर पुनःसंयम कर वृक्षादीपन का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में प्रत्येक पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 मग वृक्षादीपन किया जाएगा।
3. स्वयं निरीक्षण को उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
4. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेच, नई दिल्ली द्वारा राज्य पम्पेट डिविज़न भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालन, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएन्टल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शक्ति), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4040/ख.सि. 03/2019 राजनांदगांव दिनांक 07/12/2019 को अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवंटित खदान (डाम-सोहनटड़ा) का सतह 0.789 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संभावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गानी गयी।



2. खनन क्षेत्र को 7.5 मीटर बाहरी गद्दी में किये गये उत्खनन एवं उसकी पुनर्भरण कर कुशलतापूर्वक की योजना/विवरण माईनिंग प्लान में शामिल किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री वीलेन्ड कुमार रावू, (बीडभाड़ा लाईम स्टोन माईनिंग) श्री राम-गोहमड़ा, ताड़शील-राजगीर, जिला-जाजगीर के खसरा क्रमांक 209 में स्थित चूना पत्थर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.769 हेक्टेयर, क्षमता - 4.946 टन प्रतिघण्टे हेतु परिसिफ्ट-01 में तयित शर्तों के अर्धीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तत्कानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स नूनरपारा डोलोमाईट क्वारी (प्री- श्री राजय केडिया), राम-नूनरपारा, छाड़शील-राजगीर, जिला-जाजगीर-चापा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1120)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 138-134/2020, दिनांक 10/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित होने से आपन दिनांक 16/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधित जानकारी दिनांक 19/05/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (सीम खनिज) खदान है। खदान राम-नूनरपारा, ताड़शील-राजगीर, जिला-जाजगीर-चापा स्थित खसरा क्रमांक 2333/8, कुल क्षेत्रफल-4.58 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन-क्षमता-61,057.28 टन प्रतिघण्टे है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्समम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित खसरा पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघापन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशलतापूर्वक की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघापन सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघापन) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसार परिधीयता प्रस्तावक को एसईएसी, जयसमर के ज्ञान दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरद कुमार केंडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सही प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उरखनम को संकेत में ग्राम पंचायत मुख्यालय का दिनांक 13/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उरखनम योजना — माईमिंग प्लान एलांग विद्य प्रोपेसिव स्ट्रुइन प्लोअर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय खान भूरी, नारपुर से ग्राम अनापत्ति जेएनसी/डीओएल/एनपीएलएन-1106/एनजीपी, दिनांक 16/04/2013 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-जाजगीर-बाघा के ग्राम अनापत्ति / 3022 / गीन खनिज / ई-निविदा / न.क्र. / 2019-20 जाजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 4275 हेक्टर में खदानें बनाया गया है। जिसमें पंचायत विधायकीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर की परिधि में आवेदित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें हैं अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कन्स्ट्रेंट अनुसार "कोई कन्स्ट्रेंट एरा समय बनाया जाएगा, जब एक सीमा के परिधियों को क्षेत्र दूरी का सधारा खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कन्स्ट्रेंट हेतु जियोडिनियस निगरान क्षेत्र में विधायकीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इन प्रकार शामिल खदानों से सीमा सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कन्स्ट्रेंट में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-जाजगीर-बाघा के ग्राम अनापत्ति / 3021 / गीन खनिज / ई-निविदा / न.क्र. / 2019-20 जाजगीर, दिनांक 11/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, सराफा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाँध, एसीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. की संतथ केंडिया का नाम यह है, जो जयसमर शासन खनिज संधार विभाग, संकलन बाँध कल्याण सिंह भवन, रामपुर के ग्राम अनापत्ति एक 9-11/2011/12 रामपुर, दिनांक 07/05/2011 द्वारा जारी की गई, जिसकी कृपा समाप्त हो चुकी है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. वन विभाग का अनाधरित प्रमाण पत्र - कार्यलय वनमण्डलधिकारी वनमण्डल जालगीर-बामन, जिला-जालगीर-बामन के ज्ञापन नं./स.दि./2518/2002, दिनांक 04/12/2002 से जारी अनाधरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की है।
8. गहरवपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम जलवादी बाम-दुमरावा 3.5 कि.मी एवं रबुल बुराबावा 3.8 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सार्वजनिक 25 कि.मी. एवं राज्यसर्जन 20 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की वरिधि में अंतर्राज्यीय स्तर, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
11. प्रस्तुतीकरण के दौरान गया गया कि खदान की एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान की किरात समाप्त हो चुकी है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. एल.ओ.आई. किरात वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पैर माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग विभाग से उत्समय क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये गये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत अगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., धरतीसंगठ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 15/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण पूर्व में प्रस्तुत एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. माईनिंग विभाग से उत्समय क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में पूर्व में दिये गये प्रमाण पत्र को ही पुनः प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई स्थिति



जागरूकता एवं समस्त सुसंगत जागरूकता / प्रस्तावित स्थित प्रस्तुतीकरण विधि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सुचित किया जाए।

3. मेतारां बंगोरी बिन्त आर्ष भाईन (श्री. — श्री घनेश राम देशमुख), ग्राम—बंगोरी, सहरील व जिला — दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 828)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एलओआई/ सीजी/ एमआईएन/ 34878/2019; दिनांक 13/04/2019; परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से आपन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जागरूकता प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा त्रुटित जागरूकता दिनांक 02/06/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गोष्प खनिज) खदान है। खदान ग्राम—बंगोरी, सहरील व जिला — दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1117 से 1118, 1122 से 1129 एवं 1138 से 1141, 1148/1 एवं 1150 कुल क्षेत्रफल—2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गोष्प खनिज) क्षमता—300 टन/दिन प्रतिदिन है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा गोष्प खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य काग से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं—

1. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र — उत्खनन की संकेत में ग्राम पंचायत बंगोरी का दिनांक 28/06/2019 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परखनन योजना — खास प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सचि अधिकारी, जिला—बालोद के द्वारा क्रमांक 727/खनि.सि/खनिज/2018, बालोद दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला—दुर्ग के आपन क्रमांक 40/ए/खनि.सि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर को भीतर व खदान क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार समस्त खदान की 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक पर सख्त एवं 100 मीटर में सिविलियन नहीं स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीवेल एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई, संबंधी विवरण — एल.ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला—दुर्ग के आपन क्रमांक 193/खनि.सि.02/ई—सीकरण/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी क्लॉक जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई की क्लॉक समाप्त हो गई है।

8. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - मासिक वनसम्पदाधिकारी, पुर्न वनसम्पदा, जिला-पुर्न को ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2019/3235 पुर्न, दिनांक 25/07/2019 को जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि पत्र क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णयानुसार निर्णय लिया गया था-

1. फॉर्म-2 के बिना क्रमांक 8 में माईनिंग ऑफ अडिन्गरी स्टोन माईनिंग क्षमता - 800 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में निदोटी उल्लेख का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. केंद्र की वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनेश राम देशमुख, जौनसाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की केंद्र की वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। अतः आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 297वीं बैठक दिनांक 11/10/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 11/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपेक्षित कार्रवाई (एल.ओ.आई. केंद्र की वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/11/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. केयूटा वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. केयूटा वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. केयूटा वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(व) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:



प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 04/07/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. विषया वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 30/09/2020 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020-

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की केंद्रता संशुद्ध हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक एम-4-27/2019/2012 विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संभालक, नैमिकी तथा सनिकर्न, छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 15/07/2020 को जारी पत्रित आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में विवेकन के परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता श्री धनेश राम देशमुख अलगज स्प. श्री गुराल सिंह देशमुख निवासी ग्राम-धमारी, तहसील व जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 03/07/2019 को मान्य करते हुये प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रभावशाली किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नोन सभित निघन, 2016 क्वासासंशोधित के नियम 42(5) के प्राक्यानांतरित मूल ढीप के आधार पर नितातानुसार विचार वन प्रकरण का निराकरण किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्त उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी सह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई पत्रित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. पेशवा श्रीमती अर्चना दास (कुमरडीहकला साईम इटीम क्वारी), ग्राम-कुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनादगांव (सचिवालय का नसी क्रमांक 1247)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजन नम्बर - एलओआई/ सीसी/ एमआईएन/ 147920/2020, दिनांक 09/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से डायन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशुद्धित मूल पत्र (नीम सभित) सदान है। सदान ग्राम-कुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनादगांव स्थित पार्ट ऑफ ससर

क्रमांक 108, कुल क्षेत्रफल-2.023 हेक्टर में है। खदान की आवेदिता संख्या-35.036 टन प्रतिघंटे है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विचारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा विला नगरीय पर्यावरण संरक्षण विचारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एक अधिकृत शाही के पत्र में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है तो विगत वर्षों में किए गए खनन से वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित तथा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (महान फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आवेदिता बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवस तक हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुष्यंत दास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अद्योक्त एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई -

1. पान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - खदान की संकेत में पान पंचायत नृणरक्षकता का दिनांक 27/11/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रखनन योजना - पानी पान अलाय विंग तयारी तालाब पान विंग प्रस्तावनामेड मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जय संजालक (समि.प्रशा.), विला-रायपुर के द्वारा क्रमांक क./ख.लि./टीम-8/2018/340 रायपुर दिनांक 19/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि. राज्य), विला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/2803/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदिता खदान से 500 मीटर की सीमा अंतर्गत 9 खदानें, क्षेत्रफल 7.48 हेक्टर है। कार्यालय कलेक्टर (खनि. राज्य), विला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/2803/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदिता खदान से 500 मीटर की सीमा

अवस्थित ३ खदानों, क्षेत्रफल 7,740 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यार्थीय खदान को जीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन: 2008 (गया संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार कोई क्लस्टर उक्त समय बनाया जाएगा, जब एक जीज के परिधियों की बीच दूरी उस सदात खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधियों से 500 मीटर से कम है। अर्थात् क्लस्टर हेतु जियोडिजिटल मिनरल क्षेत्र में विद्यार्थीय खदान को जीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के जीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र संशोधित जाना आवश्यक है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय क्लस्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव को ज्ञान क्रमांक/2003/रा.नि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीमेट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. जीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है, जिसमें जीज बीमाडी अर्चना राम के नाम पर है जीज बीज 05 वर्षी अर्थात् दिनांक 05/01/2001 से 04/01/2008 तक की अवधि हेतु थी। प्रथम नवीनीकरण दिनांक 05/01/2008 से 04/01/2011 तक की अवधि हेतु किया था। तदनुसार जीज बीज दिनांक 05/01/2011 से 04/01/2021 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2019 द्वारा विहित प्रकल्प में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमन्त्रालय/बीमाडी, वनमन्त्रालय राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव को ज्ञान क्रमांक /रा.नि./म.क. 10-1/2020/1838 राजनांदगांव, दिनांक 13/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम सभादी ग्राम-दुमरडीहकला 2.5 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-दुमरडीहकला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या तथित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 7,08,000 टन, माइनेबल रिजर्व 2,68,970 टन एवं रिमाइनिंग रिजर्व 2,60,073 टन है। जीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र)



का क्षेत्रफल 0.378 हेक्टेयर है। औपम आरक्ष क्षेत्रों में निर्धारित विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। जमीन विहारी की मात्रा 10,721 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हेमर से ट्रिपिंग एवं कंट्रोल कास्टिंग किया जाता है। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	3,193	3	9,579	23,947
द्वितीय वर्ष	3,492	3	10,476	25,515
तृतीय वर्ष प्रथम बंध	3,679	3	11,037	27,570
चतुर्थ वर्ष	3,862	3	11,586	28,968
पंचम वर्ष	4,004	3	12,012	30,030

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें वर्ष प्रथम बंध	1,107	3	3,321	8,302
छठवें वर्ष द्वितीय बंध	2,897	3	8,691	21,727
सातवें वर्ष	4,004	3	12,012	30,030
आठवें वर्ष प्रथम बंध	1,000	3	3,000	7,500
आठवें वर्ष द्वितीय बंध	3,001	3	9,003	22,507
नौवें वर्ष प्रथम बंध	3,602	3	10,806	27,015
नौवें वर्ष द्वितीय बंध	598	2	1,196	2,990
दसवें वर्ष	4,791	2	9,582	23,955

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद की अवधि को सतृण्णक किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** - परिशीलना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति पोरबेल के माध्यम से की जाती है। खदान में पानी अक्षय नियंत्रण हेतु जल का विकल्प किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित मार्गकलाप उपराल अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सतृण्णक सतृण्णक वीटर अधीनर्ता से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
12. **वृक्षाशेषण कार्य** - सतृण्णक क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 210 मग वृक्षाशेषण किया जाएगा।
13. **परिचरित क्षेत्र में उत्खनन** - परतृण्णक क्षेत्र की सीमा परिचरित प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सतृण्णक क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए परिचरित क्षेत्र) के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

1. पूर्व में गुना पत्थर खदान पार्ट ऑफ सरसरा क्रमांक 108 कुल क्षेत्रफल - 2,023 हेक्टेयर क्षमता - 30,030 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति



जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्माण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 08/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन आमांक/328/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2001	निराक	2009	500
2002	200	2010	300
2003	100	2011	3,600
2004	100	2012-16	निराक
2005	156	2017	38,500
2006	240	2018	7,000
2007	2,742	2019	1,900
2008	876		

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन आमांक/328/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष 2017 में 38,500 टन उत्खनन बताया गया है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति अन्तर्गत 30,000 टन प्रतिवर्ष हो लिए जारी की गई थी। उक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में उत्खनन की मात्रा कितनी है?

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को जे.एम. दिनांक 01/05/2018 को अनुदान री-इंजॉय (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at Govt. Primary School Village-Dumardihkalan	
			Rain-Water Harvesting System	2.0
			Potable Drinking Water	0.25

Handwritten signature

		Running Water Arrangement	0.10
		Plantation	0.10
		Total	2.45

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्माण किया गया था:-

1. माइनिंग विभाग से कलेक्टर क्षेत्र में 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये दृढे विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किए गए उत्खनन की तात्कालिक सारा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. लीज क्षेत्र को घाटी ओर 7.5 मीटर की बाहरी परिधि (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में किये गए अनियमित उत्खनन क्षेत्र की संपत्ति (क्षेत्रफल एवं गहराई सहित), उत्खनित क्षेत्र के भरण हेतु प्रस्ताव का विवरण तथा कार्य पूर्ण किये जाने का समय की साथ संपत्ति पर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी ओर 7.5 मीटर की गहराई में वृक्षरोपण किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना बताया गया है। सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी माईइलाईन अनुसार परियोजना स्थल सभी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा लेफ जोन के अंतर्गत आने संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए। इन्फ्रस्ट्रक्चर वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल प्राइमरी वॉटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. स्वतः निरीक्षण के उपरांत सी ईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत जागहरी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., फलीसमरा के ज्ञान दिनांक 03/07/2020 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा भस्ती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञान दिनांक/4080/ख.नि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/10/2020 के अनुसार आवंटित खदान के 500 मीटर की भीतर अवस्थित 32 खदानों क्षेत्रफल 31.75 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञान दिनांक/4198/ख.नि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 20/10/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 28,000 टन एवं वर्ष 2017-18 में 11,074 टन उत्खनन किया गया है।

3. लीज क्षेत्र को जारी जोर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को दिनांक- 20/20 को नीचे पुनर्भरण कर पुनर्भरण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य समय पर प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में जारी जोर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,800 मग पुनर्भरण किया जाएगा।
5. उपरोक्त कार्य प्रयोग करने हेतु रोडल प्लानिंग कार्य अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त करने में लिए आवेदन किया गया है।
6. स्वतः निरीक्षण से उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई जॉइंट जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेराल श्री विवेक गुप्ता (डी-1 खडगवाकला सेम्ड गाईन्, ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर), फुल धौक रायपुर, जिला-रायपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1246)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 148045 / 2020, दिनांक 08 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर स्थित खनन क्रमांक 354, मुक्त लीज क्षेत्र 4.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाये प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-90,980 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का सिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवेल (Levels) लेकर सिड गैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (सीमा अंतर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवेल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। सिड गैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी इजाजत, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।



3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी की धारा की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उराली मणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नहरों की दूरी वास्तु जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के उपरसीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा जलनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरसीमनुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरसीम अक्षांश पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, इसका सीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस वास्तु उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जालकरी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचणमा से प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व से आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघरत निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघरत निर्देशन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिशोधित तारी के मापन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दुष्प्रभाव की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से घोषित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसंगक को खदान से रेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में पर्यावरण सनसत सुरंगता जलकरी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसंगक को एस.ई.आई.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु भुविष्ठ किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश अलीमुद्दीन, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रसंगक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि अवशिष्ट कार्यों (अधिशोधित माईनिंग प्लान नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति को दिनांक 03/06/2020 पर आयोजित बैठक में विचार किया जाए।



समिति द्वारा तदवसय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन जोटींगप्लान) को साथ आसंबंधित बैठक दिनांक 04/08/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(स) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/08/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंख अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खड़गवाकला का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा अंशक 2359/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अनुमोदित है। तदनुसार संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा अंशक 2389/खनिज/2020, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशक खनिज/2020 सुरजपुर 3648, दिनांक 06/03/2020 के अनुसार आश्रयित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की सूची निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशक खनिज/2020 सुरजपुर 3648, दिनांक 06/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार राज खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एसीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशक 3486/पी.ओ.रे./दि.जी./न.अ.02/2019 सुरजपुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महात्त्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-खड़गवाकला 4 कि.मी. एवं अनापत्ति खड़गवाकला 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एसीकट स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली वॉल्यूटेड एरिया परिसर/परिधिगीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर तथा खनन स्थल की औसतन लंबाई – 728 मीटर, चौड़ाई – 70 मीटर से 85 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से छालनी किनारे से दूरी अधिकतम 114 मीटर, न्यूनतम 84 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित साईनित प्लान अनुसार खदान में साईनेबल रेत की मात्रा – 88,728 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत बालू की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.9 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है।
12. भूई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान को भूई में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत शतह के लेवलिंग – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पूर्व प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का सिंच बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मोनसून (Post-Monsoon) आधा दिनांक 02/03/2020 को रेत शतह के लेवलिंग (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफत उचित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिन दिनांक 01/03/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Firangi Para	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.20

	Running water facility for Toilets	0.15
	Total	0.81

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्वतः निरीक्षण के उपरान्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक मास में प्रस्तुत किया जाए।

15. **बीर माईनिंग क्षेत्र** - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 150 मीटर एवं न्यूनतम - 120 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 17 मीटर से 18 मीटर छोटाकर उल्लंघन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5,437 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार रैत उल्लंघन का कार्य अवशेष 4,438 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदित रैत खदान के सीमा में रैत खदान "डी-2 खडगवांकला रोम्ब माईनिंग, घाम-खडगवांकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के लिए एल.ओ.आई. जारी की गई है। उक्त खदान के पर्यावरणीय स्थितियों कायदा प्रकरण भी विद्यमान है। आवेदित रैत खदान की सीमा एवं उक्त खदान की नजदीकी सीमा के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है, अतः नहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदित रैत खदान "डी-1 खडगवांकला रोम्ब माईनिंग, घाम-खडगवांकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" एवं रैत खदान "डी-2 खडगवांकला रोम्ब माईनिंग, घाम-खडगवांकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के बीच की न्यूनतम दूरी का नैतिक सत्यापन कर इस बाबत बीच की दूरी का प्रमाण पत्र कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एल.ई.ए.सी., झारखण्ड के अधिनियम 08/07/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 34वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञान अर्थात् 871/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 29/10/2020 के माध्यम से बताया गया है कि नैतिक सत्यापन के अनुसार आवेदित रैत खदान "डी-1 खडगवांकला रोम्ब माईनिंग, घाम-खडगवांकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" एवं रैत खदान "डी-2 खडगवांकला रोम्ब माईनिंग, घाम-खडगवांकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर है।
2. स्वतः निरीक्षण के उपरान्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन नियुक्त विधि से एवं सवाई का कार्य जोड़कर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उत्सर्जनी जलकों का सनादेश नहीं किया गया है। महान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में साधारणतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया:-

1. अयोधित खदान (घास-खड़गवाकल) का संचय 4.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मृदाशीपण नमूने - प्राथमिकता के अन्तर्गत नदी तट पर कुल 1,500 मी. चौड़े - 750 मी. अर्धुन के चौड़े तथा क्षेत्र 750 मी. (उत्तम, करज, बास, कम अर्धु) चौड़े लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पशुधन मार्ग पर 500 मी. चौड़े लगाए जाएंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) का सही तरीका ज्ञात हो, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -
 - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (सीमा क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी जाँच किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सही 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
 - ii. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं स्थित बिन्दुओं में मार्च/मई माह तथा जीव क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (सीमा क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं स्थित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतर्गत दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के अंतर्गत जनवरी 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.आई.आई.ए.ए. उपलब्धता तब प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भी विवेक मुद्रा, बी-1 खड़गवाकल सोल्ड माईन, खसरा क्रमांक 358, घास-खड़गवाकल, तहसील-जातापुर, जिला-सुरजपुर, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से जीव

माइनिंग क्षेत्र 5.437 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.438 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 44,000 वर्गमीटर प्रतिफल रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अर्धीन पर्यावरणीय शर्तिकां, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु देने जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जीज क्षेत्र में स्थित रेत गुराई गड्डे (Excavation pits) से लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माइनिंग क्षेत्र एवं अर्धीक माइनिंग क्षेत्र को शीक पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विंड दिग्दर्शी पर नदी खातों की स्तरों (Levels) का सर्वे कर (पोस्ट-गानगून), उनको साफ़े लकड़ों एस.ई.आई.ए.ए., प्रतीरानगड को प्रस्तुत किये जाये।

साम्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रक्रिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रतीरानगड को तदनुसार सुधित किया जाए।

6. मेसर्स श्री विवेक गुप्ता (डी-2 खडगवांकला रोडक माईन, ग्राम-खडगवांकला, ताहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर), फुलबीक रामपुर, जिला-रामपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1248)

ऑन-लाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एस.आई.ए. / सीजी / एस.आई.ए. / 148103 / 2020, दिनांक 08 / 03 / 2020।

परराज का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-खडगवांकला, ताहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर स्थित पार्ले ऑफ खसर क्रमांक 358, कुल जीज क्षेत्र 4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-08,330 वर्गमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) सचिवालय की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020-

सचिवालय द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खात एवं प्रस्तावित खात के अघरडीन तथा खडगवांकला में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर का विंड बनकर वर्तमान में रेत खातों के लेवलस (Levels) लेकर विंड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन जीज को बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी खातों के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। खात लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेड पार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेड पार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विंड में

AM

टेम्परी बैच मार्क (TBM) की भी दस्तावेज, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के फाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में संरक्षण किया जाना समय न हो तो उसकी गणना कर, भूखण्ड पर दर्जकर इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भूखण्ड पर खनिज विभाग से सीमांकन बनाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल जाकुटि स्रोत की दूरी बांधतु जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपनटॉम से न्यूनतम 800 मीटर तथा जाकुटिस्ट्रीम से न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार भूखण्ड पर चिह्नित कर, परतका भीके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बांधतु उल्लेख किया जाए।
5. रेत संरक्षण हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की नोटाई जानने के लिए प्रति इन्स्टेबल में कम से कम एक गज्जा (म्ह) खोदकर उनकी वास्तविक गहलाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहलाई हेतु पंक्त्या भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि भूई में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), झलौसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), झलौसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्ती के अंतर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान भूई से संधारित है, तो दिनांक वर्षों में किए गए संरक्षण की वास्तविक स्थिति की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तापक को खदान से रेत के लेवलस (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी गज की आवेदित डेटा में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अपडेटेड फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सद्वानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तापक को एस.ई.ए.सी., झलौसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोख अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तापक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि अपरिहार्य कारणों (संशोधित माईनिंग प्लान नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष डेटा में प्रस्तुतीकरण किया



जाना समत नही है। जहाँ उक्त आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यावत फोटोग्राफ) की साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस संबंध दुर्भाग के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को दुर्भाग के माध्यम से सूचित किया गया।

(ब) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सैफ अलीमुद्दीन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. धाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत साइनामाकला का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 2381/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/03/2020 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के द्वारा क्रमांक 2371/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक खनिज/2020 सुरजपुर 3647, दिनांक 05/03/2020 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक खनिज/2020 सुरजपुर 3647, दिनांक 05/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जमा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 3464/बी.करे./दि.ओ./न.क.02/2019 सुरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित क्रम में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम अत्यादी धाम-साइनामाकला 4 कि.मी. एवं अस्पताल साइनामाकला 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। पुल खदान से 500 मीटर की दूरी पर साउनस्ट्रीम में स्थित है।

9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली फॉल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई – अधिकतम 170 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 742 मीटर, चौड़ाई – 80 मीटर से 82 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट की उत्तरी किनारे की दूरी अधिकतम 82 मीटर, एवं दक्षिणी किनारे की दूरी अधिकतम 12 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में गार्डरेयल रेत की मात्रा – 68,330 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोपकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत वाहक की क्षैप्यता – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुणा 25 मीटर का सिद्ध इलाका, वर्तमान में पोस्ट-मॉन्सून (Post-Monsoon) माह दिनांक 02/03/2020 को रेत वाहक की क्षैप्यता (Levels) लेकर उन्हीं खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोवाकल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जॉरएन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उम्मीदी के समूह विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearty Government School Village-Khadgawankata	
			Rain Water Harvesting System	0.45

(Signature)

	Potable Drinking water Facility	0.21
	Plantation	0.15
	Total	0.81

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्वयं निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. गैर माईनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की चौड़ाई अधिमान 170 मीटर एवं न्यूनतम - 130 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 17 मीटर से 18 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 2.550 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार से उत्खनन का कार्य अपरॉफ 4.725 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति को संज्ञान में यह तथ्य अथवा कि आवेदित सेत खदान के समीप में सेत खदान "डी-1 खडगवाकला रोपड माईन्, ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के लिए एल.ओ.आई. जारी की गई है। उक्त खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति बाधक प्रकार में विद्यमान है। आवेदित सेत खदान की सीमा एवं उक्त खदान की नजदीकी सीमा के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है, अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदित सेत खदान "डी-2 खडगवाकला रोपड माईन्, ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के समीप में सेत खदान "डी-1 खडगवाकला रोपड माईन्, ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के बीच की न्यूनतम दूरी का भौतिक सत्यापन कर, इस बाधक बीच की दूरी का प्रमाण पत्र कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एन.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/07/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्टें आई गईं-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 सुरजपुर, दिनांक 29/10/2020 के माध्यम से बताया गया है कि भौतिक सत्यापन के अनुसार आवेदित सेत खदान "डी-2 खडगवाकला रोपड माईन्, ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के समीप में सेत खदान "डी-1 खडगवाकला रोपड माईन्, ग्राम-खडगवाकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर" के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर है।

2. स्वयं निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।



3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मानी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन करवाई एवं संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. आवेदित खदान (शाम-खडनवाकला) का सतह 4.98 हेक्टर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. भूशांशोधन कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 मीटर चौड़े - 750 मीटर अर्धम की चौड़े तथा बीच 250 मीटर (जामुन, कपडा, बांस, आम आदि) चौड़े जगह आवेगे। इसके अतिरिक्त शुरुआत पर 500 मीटर जगह आवेगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंधी आंकड़े रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन माप -
 - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान लीज के बाहर / नदी तट (दीर्घा जोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
 - ii. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवंबर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने की पूर्वी) इसी स्थित बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान लीज के बाहर / नदी तट (दीर्घा जोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खान उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह की अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी स्थित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर रेत सतह की लेवल (Levels) का मापन कर कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जनवरी 2021, 2022, 2023 तथा अतिरिक्त कम से एक ई.आई.ए.ए. अंतिमसतह को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भी विवेक गुणवत्ता बी-2 खडनवाकला सतह माईनिंग पार्ट ऑफ खसरा अंशक 358, शाम-खडनवाकला, पहासील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टर में से लीज

माइनिंग क्षेत्र 2.850 चरममीटर क्षेत्र कम करने पर 4.725 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 47,000 चरममीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।

6. रेत माइनिंग क्षेत्र एवं अर्थात् माइनिंग क्षेत्र का सीमा पर स्थित विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ट्रिब्यूनलों पर नदी संग्रह के स्तर (Levels) का सर्वे कर (पॉस्ट-नानमून्), एसडी आईईएए, फ्लोसागड की प्रस्तुत किया जाये।

सर्वे कर पर्यावरण संरक्षण निगरान प्रक्रिया (एसडीआईएए), फ्लोसागड की तदनुसार सृजित किया जाए।

7. मेसर्स बुरुकी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रो.- श्री मन्मोहन शर्मा, किलापदरिया जोलोमाईट नाईन), ग्राम-किलापदरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जाजरगीर-राधा (सचिवालय का नरती क्रमांक 1352)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजत नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 164277 / 2020, दिनांक 20 / 07 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्ताव खदान के उत्खनन क्षमता के विस्तारीकरण का है। यह पूर्व में संचालित जोलोमाईट (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किलापदरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जाजरगीर-राधा स्थित खदान क्रमांक 5/2, कुल क्षेत्रफल-4.98 हेक्टेयर में है। खदान की वर्तमान उत्खनन क्षमता - 67,500.00 टन प्रतिवर्ष एवं आवेदित कुल उत्खनन क्षमता - 2,80,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02 / 09 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 (सभा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिपन्थों के बीच पूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिपन्थ से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोडिभिथस मिनरल क्षेत्र में विचारणीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर अन्य वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकरण शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को

(कमिस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अल्ट्रा पॉवरप्लानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उभय खदानों के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्मृति/पंजीयन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अभिलेखित सर्वाधिक मात्रा में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्ष में कार्यवाही किए गए उद्योगों की वार्षिक मात्रा की जानकारी (द्विस्तरीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विकसित प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आर्थात्मिक बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, राणीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी मनमोहन झाई, प्रोफेसर्डेक्टर अवस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संघर्ष में ग्राम पंचायत किलासहरिया का दिनांक 09/01/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — सीडिफाईड खारी प्लान विथ क्लीम जॉयन स्ट्रैटेजिक प्लान थोरोथ्रफ फाईव इंजर प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनमालय, भौतिकी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3239-42/नाईनिंग-2/एमपी/एन.96/2015 का रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 10/07/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँघा के ज्ञापन क्रमांक 1234/खनि/न.ज. /2020-21 जांजगीर, दिनांक 10/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँघा के ज्ञापन क्रमांक 1203/खनि/न.ज. /2020-21 जांजगीर, दिनांक 10/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **सील का विवरण** – सील मेसर्स गुरुजी मिगरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष हेतु अवधि दिनांक 08/11/2011 से 07/11/2041 तक है।
6. **मू-स्वामित्व** – भूमि श्री रघुवर सिंह तिरांगिया के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय घास-डिहायदरिया 0.5 कि.मी., स्कुल घास-बाग़ान 8 कि.मी एवं अस्पताल घास-डिहायदरिया 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। सोन नदी 8 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैविकली जीवसुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – क्रियोलॉजिकल रिजर्व 40,42,515 टन, साइनेबल रिजर्व 24,47,427 टन एवं रिहाइरमेंट रिजर्व 18,82,044 टन हैं। सील की 7.5 मीटर गींठी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर है। ऑपन कस्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28.45 मीटर है। वर्तमान में कुछ भागों में 19 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। रोफ ऊपरी मिट्टी की मोटाई 8.418 घनमीटर एवं मोटाई 2 मीटर है। डैम की ऊंचाई 3 मीटर एवं मोटाई 3 मीटर है। खदान की स्थावित आयु 9 वर्ष है। जैक डैम से ड्रिनिंग एवं स्टास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था कालांतर में अपनानी जाएगी। वर्षांतर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नांकित है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018-17 से 2019-20	During this period, the excavation work has been done as per proposal.			
2020-21	29,240	3	87,719	2,21,000

नोट: तालिका में दशमत्तव के बाद के अंकों को चारुण्डवीक किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन है। खदान में जल की आपूर्ति स्थानीय स्रोतों से कर की जाती है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – सील क्षेत्र की सीमा में कहीं और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

13. पूर्ण में कोलोमबईट खदान खसरा क्रमांक 5/2, कुल क्षेत्रफल - 8.99 हेक्टेयर, शमला - 67,969.65 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रसिक्कन, जिला-जांजगीर-धाम द्वारा दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों केपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
15. निर्धारित शर्तानुसार 200 नम नृसंरक्षण किया गया है।
16. विगत वर्षों में पर्यटन किए गए उत्खनन की सांसायिक मय्या की जानकारी (दिलीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रसिक्कत करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों के वर्ष 2016-17 में 87,970 टन, वर्ष 2017-18 में 77,060 टन, वर्ष 2018-19 में 1,04,613 टन एवं वर्ष 2019-20 में 1,02,030 टन है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक है। इस संबंध में समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु आवेदन किया गया था एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु जारी की गई है।
18. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में स्ट्रीमड, माईनिंग रिजर्वों की उपयुक्त गणना नहीं की गई है। जो, उपयुक्त गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. सीधैरैट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से धार्त उपरंत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56	2%	1.9	Following activities at Govt Primary School Village - Chhitapadariya	
			Rain Water Harvesting System	0.90
			Potable Drinking Water	0.30
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation with fencing	0.60
			Total	1.90

समिति द्वारा उत्तमवर्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों केपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में समस्त अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु आवेदन किया गया था एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन हेतु जारी की गई है। जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जाजगीर-बामा में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन की सत्यापित प्रति (जिसमें आवेदित क्षमता का उल्लेख है) प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्ताव अनुमोदित माईनिंग प्लान में स्वीकृत, माईनेबल रिजर्व की उपयुक्त गणना नहीं की गई है। अतः रिजर्व की विस्तृत गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. मुनि श्री रघुवर सिंह मिनायिका के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. स्वतंत्र निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उम्मात आधान कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी. छातीरगढ की 345वीं बैठक दिनांक 05/10/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिखति माई गई—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मया राजपुर अटल नगर के द्वारा दिनांक 28/10/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों केपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जाजगीर-बामा में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जाजगीर-बामा के द्वारा जमांक/2031/खनि/न.क/2020-21 जाजगीर, दिनांक 09/10/2020 के अनुसार वर्ष 2015-16 में 80,000 टन, वर्ष 2016-17 में 67,970 टन वर्ष 2017-18 में 77,060 टन वर्ष 2018-19 में 1,04,815 टन एवं वर्ष 2019-20 में 1,02,030 टन उत्खनन किया गया है।
4. माईनिंग प्लान में स्वीकृत, माईनेबल रिजर्व की उपयुक्त गणना कर रिजर्व की विस्तृत गणना कर अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।



5. भूमि-सी रघुवर सिंह शिरसांविया के नाम पर होना बताया गया है, जबकि सहायति एवं श्रीमति केशर सिंह के नाम की प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
6. स्थल परीक्षण के उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी मध्य के आयोजित बैठक में उपरोक्त उल्लिखित जानकारी एवं समस्या सुसंगत जानकारी / इस्तरायेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक से तथानुसार सूचित किया जाए।

- B. मेसर्स श्री राजय कृष्णानी ऑडिटररी स्टॉन क्वारी, पान-मनकेशरी, तहसील व जिला-काकोर (शक्तिपालय का नस्ती क्रमांक 1378)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 188027 / 2020. दिनांक 28 / 08 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सहायन पाथर एवं मुसम (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान पान-मनकेशरी तहसील व जिला-उ.प्र. काकोर स्थित खनन क्रमांक 24 कुल क्षेत्रफल-1.89 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित साधारण पाथर उत्खनन क्षमता-64,725 टन प्रतिवर्ष एवं मुसम उत्खनन क्षमता-21,022.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैचकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02 / 09 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्सामय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिवेदित शर्तों के अंतर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोसाफ्ट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथक्करण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसाफ्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो दिगत वर्ष से पर्यावरण विप्लव का उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।



8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) को साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। उनसे द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सामान्य पक्कर खदान खदान क्रमांक 24, कुल क्षेत्रफल - 1.89 हेक्टेयर, क्षमता - 88,724 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रतिकरण, जिला-व.ब. कांकेर द्वारा दिनांक 28/12/2016 को जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित साधारण पक्कर उत्खनन क्षमता-84,725 टन प्रतिवर्ष एवं मूल्य उत्खनन अंश-21,532.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

समिति के संज्ञान में यह स्पष्ट आया कि माइनिंग विभाग द्वारा मूल्य उत्खनन हेतु आह्वय पत्र जारी नहीं किया गया है, जो कि आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को माइनिंग विभाग से मूल्य उत्खनन हेतु आह्वय पत्र की प्रमाणात प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही को जारी रखी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई-

8. एस.जी.आई. की राजेश कुमारी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज संयंत्र), जिला-व.ब. कांकेर के डायन क्रमांक/720/खनिज/व.ब./सीईडी /2020-21 कांकेर, दिनांक 28/10/2020 द्वारा मूल्य उत्खनन हेतु जारी की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई नस्तित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लक्ष्यानुसार सूचित किया जाए।

9. मेजर एस.आर. सरकार पुरफुदी ऑर्डिनरी रटोन क्वारी, ग्राम-कुरकुदी, तहसील-पखांचुर, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1347)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 162994/2020, दिनांक 11/07/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत

ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से इत्यन दिनांक 13/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/08/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (सीधे खनिज) खदान है। खदान धाम-कुस्कुडी, तहसील-मन्नापुर, जिला-कन्नौज स्थित खदान क्रमांक 174, बुज लोकपाल-1 इन्स्टीट्यूट में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परखनल क्षमता-57,430 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा वरसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वाम संघागत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (आवेदारी बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. गूगल स्वामित्व संकेती दस्तावेज की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित नती के पालन में की गई आवेदारी की जानकारी फोटोसाथ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथक्करण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसाथ सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्ष में वर्षाज किण्व नष्ट प्रखनल की तात्कालिक मात्रा की जानकारी (विस्तृत वर्ग) खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्ताव (अद्यतन फोटोसाथ) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुविंद सिंह सरकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवरोधन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पड़े गई-

1. वाम संघागत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में वाम संघागत भरोसा का दिनांक 10/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** - जारी प्लान विथ प्रोपोजिड क्वारी कलेक्टर प्लान एन्ड इन्वॉयसमेंट सेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खानि अधिकारी, जिला - उ.ब. कांकर के ड्रापन क्रमांक 283/खनिज/सखामो.अनु./अस्मा.अनु./2020-21 कांकर, दिनांक 30/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-उ.ब. कांकर के ड्रापन क्रमांक 264(ए)/खनिज/पथार/2020-21 कांकर, दिनांक 30/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/शरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-उ.ब. कांकर के ड्रापन क्रमांक 264(सी)/खनिज/पथार/2020-21 कांकर, दिनांक 30/08/2020 द्वारा जारी प्रस्ताव पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बाग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. का विवरण** - भूमि सार्वजनिक भूमि है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-कांकर के ड्रापन क्रमांक 109/कले./खनिज/अस्मा.अनु./2020-21 कांकर, दिनांक 24/08/2020 द्वारा जारी की गई गिरावकी अर्थात् 2 वर्ग हेक्टेयर है।
6. **वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमंडलाधिकारी, परिषद भानुप्रातापुर वनमंडल, जिला-उ.ब. कांकर के ड्रापन क्रमांक / मा.दि. / 2020/4648 भानुप्रातापुर, दिनांक 10/08/2020 को जारी अनामति अनाम पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **गहलवपूर्ण शरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घाट-मुरकुटी 1 कि.मी. एवं स्कूल घाट-मुरकुटी 1 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.4 कि.मी. पर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - गिगोलॉजिकल रिजर्व 1,69,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,06,885 टन एवं रिजर्वेबल रिजर्व 1,01,332 टन है। जोक की 7.5 मीटर कीकी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.278 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेनी मैकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 21.572 घनमीटर एवं मोटाई 3 मीटर है। जोक डीमर से डिजिटिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान से समु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विश्लेषण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

(Signature)

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित संख्यान (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बैच	7,224	3	21,672	57,431
द्वितीय वर्ष प्रथम बैच	8,193	3	18,576	49,226.4

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को गोलगुंडा किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाएगी।
12. वृक्षारोपण कार्य – ज़ीज क्षेत्र की सीमा में जहाँ ज़ीज 7.5 मीटर की गड्ढी में 696 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई ज़ादे (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
24.8	2%	0.49	Following activities at Govt. School Village - Phurphandi	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water	0.15
			Total	0.55

15. प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी (Top Soil), रिजर्व एवं क्लीनअप की मात्रा में कृति है। साथ ही 21,672 घनमीटर कुलम होना बताया गया है जिसके भण्डारण की व्यवस्था संबंधी विवरण एवं जानकारी का माइनिंग प्लान में उल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त की मंजूना कर संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की स्टीरिलिटी की उपयुक्त व्यवस्था की जानकारी एवं रिजर्व की विस्तृत मंजूना कर संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान में उपरोक्त की समाहित करने हुए प्रस्तुत किया जाए।
2. खदान निरीक्षण के उपरोक्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (including land cost) प्रस्तुत किया जाए।



3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020 को परियोजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान किच प्रोपेसिच क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. स्वतंत्र निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी हुई बाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स आर. डी. निगरल्स बनहरदी लाईन स्टोन क्वारी (पार्टनर - श्री राजूल गोडधरा), धाम-बनहरदी, ताहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 880)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएन / 20739/2019, दिनांक 26/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने से आपन दिनांक 06/06/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाधित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवाहित भूना पत्थर (मील खनिज) खदान है। खदान धाम-बनहरदी, ताहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खाना क्रमांक 326/2 एवं 327, कुल क्षेत्रफल - 0.708 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित वार्षिक क्षमता - 11,600 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति की प्रति एवं अधिरोपित क्वारी के पत्र में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोद्यत्ता सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही मुआयना की अवलोकन स्थिति की जानकारी कोटोद्यत्ता सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्वीकरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अचानक फोटोकॉपी) के साथ अगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एलईएकी, उत्तरीखण्ड के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुविधा किया गया।

(ब) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 28/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विषय गोलछा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन को संकेत में ग्राम पंचायत बनहस्टी का दिनांक 11/07/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान एलाग्बिब इम्प्लायमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी कंटेनर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप मंत्रालय (छानि प्रशा.) जिला-राजमोहवा के ज्ञापन क्रमांक प./1507/खानि/वीन-8/2018, दिनांक 02/11/2018 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खानि राजमो, जिला-राजमोहवा) के ज्ञापन क्रमांक/2095/खानि/02/2019 राजमोहवा, दिनांक 16/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित 3 खदानें क्षेत्रफल 3.012 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खानि राजमो), जिला-राजमोहवा के ज्ञापन क्रमांक/2095/खानि/02/2019 राजमोहवा, दिनांक 16/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — पूर्व में लीज भी नवीन मुनार जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अवधि दिनांक 05/04/2003 से 04/04/2013 तक थी। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 10/08/2007 को भी मनीष खण्डवाल के नाम पर किया गया। तत्पश्चात् लीज बीड का नवीनीकरण 05 वर्ष हेतु अवधि दिनांक 05/04/2013 से 04/04/2018 तक एवं वैधता वृद्धि 10 वर्ष हेतु अवधि दिनांक 05/04/2018 से 04/04/2033 तक की अवधि हेतु किया है। वर्तमान में लीज का हस्तांतरण दिनांक 05/07/2018 को नरेश अर, डी. गिनहला (पार्टनर - श्री राहुल गोलछा) के नाम पर किया गया है।
6. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजमोहवा वनमण्डल, जिला-राजमोहवा के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क

10-1/201 राजनांदगाव, दिनांक 15/01/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 539 से 10.5 कि.मी. की दूरी पर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बनहुरदी 1 कि.मी. एवं अरपावल ग्राम-बनहुरदी 1 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। ताजाब 0.8 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइण्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - त्रिमासिकता कितने लगभग 1,89,920 टन, माईनेयबल रिजर्व 94,470 टन एवं रिवाइनेयबल रिजर्व 85,024 टन है। स्वीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.252 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। औपम क्वार्ट सीमा रेखांनाइज्ड प्लॉट से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,000 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं स्टास्टिम किया जाता है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,933	3	5,800	11,600
द्वितीय	1,800	3	5,400	10,800
तृतीय	1,667	3	5,000	10,000
चतुर्थ	1,533	3	4,600	9,200
पंचम	1,400	3	4,200	8,400

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिखकाव किया जाता है।
12. वृक्षारोपण कार्य - स्वीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर के खुले क्षेत्र में कई जगहों पर 4 मीटर तक उत्खनन पूर्ण से ही किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र में ओवर बर्डन का भराव कर वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में सूना पत्थर खदान खसल क्रमांक 328/2 एवं 327, क्षेत्रफल 0.708 हेक्टेयर, क्षमता-4,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पादन निरीक्षण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगाव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक

09/03/2017 से द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत की पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ii. 250 मग वृक्षारोपण किया गया है।
- iii. जलवायु परिवर्तन (एनएलए) दिनांक-राजनामदाय की जमान क्रमांक 507/ख.सि. 03/2020 राजनामदाय दिनांक 24/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का वार्षिक वितरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक वार्षिक वितरण (घनमीटर)
2003-04	200
2004-05	120
2005-06	180
2006-07	215
2007-08	300
2008-09	75
2009-10	155
2010-11	735
2011-12	297
2012-13	380
2013-14	235
2014-15	265
2015-16 (15 जून तक)	85
② 1.87 टन/घनमीटर	मीट्रिक टन में
2015-16 (15 जुलाई से 15 दिसम्बर तक)	3,440
16 जनवरी से 17 मार्च	-
2017-18	2,710
2018-19	2,800
2019-20	2,850

15. गानगीय एनजीटी, ऑरिजिनल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकल्प, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 185 सीफ 2015 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- ii) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को ए.ई.आर. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Banhardt	
			Solar Lighting System	Rs. 0.30
			Plantation with Fencing	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.40

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा उत्सवगण सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्ता कर प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म-2, फार्म-1, ग्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अनुसंधान माईनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,000 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। जबकि प्रस्तुतकरण की दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को ए.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/06/2020 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्रतिक्रिया अपेक्षित है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का आवलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्ता कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. भूटिका प्रस्तुतीकरण के दौरान वायुमन क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया था। अतः प्रस्तुत फार्म-2, फार्म-1, जी-प्रतिबिम्बित रिपोर्ट, अनुसूचित भाईनिंग प्रान्त में खदान की आर्देडत वायुमन क्षमता - 11,800 टन प्रतिवर्ष को ही मान्य किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने समस्त जगहों कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 के परिपेक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2020 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

(द) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्वी, प्रस्तुत पत्र/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से अध्याप्त है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुरोध किये जाने का उल्लेख किया गया है।
3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 एवं 30/09/2020 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जो कि आज दिनांक तक अध्याप्त है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 07/09/2017 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:-

"Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not carryout within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) of the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC"

4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सी.ए.ए. को अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वोद्योग की तर्जों के बालन में जो गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भाग रायपुर अटल नगर को अनुदीष्ट किया जाए।

उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण मण्डल को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री देवेन्द्र देसमुख (एफ-2 कारखाने क्षेत्र गाईंग, ग्राम-बडे कारखाने, तहसील-गीदम, जिला-बन्तेवाड़ा), पिनकोड गिलाई रोड, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नरती क्रमांक 1088)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एस्आईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 134088/2019, दिनांक 29/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से खपन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 18/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (पीप खनिज) है। यह खदान ग्राम-बडे कारखाने, तहसील-गीदम, जिला-बन्तेवाड़ा स्थित खदान क्रमांक 1058, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन तलम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-85,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/05/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तात्कालिक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपग्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर वर्तमान में रेत घाट के लेवल (Levels) लेकर चिह्न मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के तथ्य (Levels) का भी सर्वे किया जाये। जका लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेस मार्क (Completed TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेस मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। चिह्न मैप में टेम्परेरी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण अध्यागत फोटोसाइट सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी का घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी मरना कर नवीन 114 दर्शाकर इसका उत्तरीय नार्थिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कटाया

जावे। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीजे पर खनिज विभाग से सीमेंटेशन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल को निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्थलों की पूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की पूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीजे क्षेत्र अपरोक्षानुसार पूरी में अंधर स्थित हो, तो उपरोक्त अंधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर उसका नीचे पर सीमांकन तथा नाईनिंग स्थान में इस बाधा उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की सीटें खनने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) कांधकर जलवायु कार्यालय गसराई का माफम कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गड्ढाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में ही गई कार्यवाही की जानकारी फोटोघात सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पंचनामा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोघात सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक माता की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/09/2018 से अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी वर्ष की आयोजित बैठक में संपर्क स्तर सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघात) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से प्राप्त दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई अधित जानकारी एवं सनस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ से प्राप्त दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचयना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचयना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., अलीशगढ़ के छापन दिनांक 25/10/2020 की परिधि में परिचयना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/11/2020 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र संचित किया गया है।

(द) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अध्ययन एवं परीक्षण कर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिचयना प्रस्तावक को आगामी माह की आवेदित बैठक में पूर्व में सही गई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिचयना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री देवेन्द्र देवमुख (एफ-1 कारली रोड गाईन, ग्राम-बडे कारली, तहसील-गोधम, जिला-बन्सवाडा), पिसोबाव मिलाई रोड, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1087)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईएन/ 134085/2019, दिनांक 30/12/2019। परिचयना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से छापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिचयना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 18/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीमा खनिज) है। यह खदान ग्राम-बडे कारली, तहसील-गोधम, जिला-बन्सवाडा स्थित खनन क्रमांक 1889, कुल सीमा क्षेत्र 3 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन तालम नदी से किया जाता प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-85,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 03/08/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी जांचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में परिधि में कोई भी वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी जांचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का विड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर विड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (बैंक) की 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी लेवी किया जाये। घाट लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में ऊपर एवं नीचे-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) जर्कित किये जायें। विड में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से इम्प्लीमेंटेशन उपबंध फोटोग्राफा सहित जानकारी / परतावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. पर्वोत्थ की खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसकी अनुसूच खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गहना कर गहरी पर बजाकर इसका चलने-ख गईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति कनेक्ट की दूरी बांध/ जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र अपस्ट्रीमनुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नष्ट कर विभिन्न कर, करका सीमा पर सीमांकन तथा गईनिंग प्लान में इस बांध/ चलने-ख किया जाए।
7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पधनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
8. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण-समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्तित शर्तों के ध्यान में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अध्यान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
9. यदि खदान पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



11. जनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत को लेवलस (Levels) जेने करके सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार जनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सत्संगम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सत्संगम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2020 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र द्रष्टि किया गया है।

(द) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेरस मोडरेगा लाईन स्टोन माईन (प्रो.- श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम-मोडरेगा एवं खौलीडबरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नरती क्रमांक 700)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एम.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 74583/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एम.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 61288/2018,

दिनांक 20/05/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए काईनल ईआईए रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संकलित भूतल परतार प्रदान (मुख्य खनिज) है। प्रदान तहसील-तिल्वा, जिला-समपुर विधान प्रान्त-मोहरीया खखरत अर्थात् 735/1 एवं 439 एवं ग्राम-खीलीखरी, खखरा क्रमांक 738, 739, कुल सीज डीज 4.527 हेक्टेयर में है। प्रदान की आवेदित परतारण्य अन्तः - 27,800 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एल.ई.ए.सी. उत्तीर्णक के प्रदान दिनांक 04/12/2018 द्वारा उपलब्ध का प्रदान होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीजमेंट इन्फोर्मेशन असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीजमेंट सेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में प्रकाशित भेगी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे जोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। उपरोक्त एल.ई.ए.सी. उत्तीर्णक के प्रदान दिनांक 27/11/2018 द्वारा लोक सुनवाई सहित जारी स्टैंडर्ड टीओआर में लोक सुनवाई से छुट रहे हुए टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

परिचयना प्रस्तावक द्वारा काईनल ईआईए रिपोर्ट दिनांक 20/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की मती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के विन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार जी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परिचयना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोघामर) के साथ आगामी मही के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिचयना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी. उत्तीर्णक के प्रदान दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीनेश शर्मा प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परिचयना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 को माताम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में उपस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी मही के आयोजित बैठक में मातव प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिचयना प्रस्तावक को आगामी मही के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन विभाग 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोफेसर्डेवर उपस्थित हुए। उनको द्वारा उपस्थित होकर एक दिनांक 29/08/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 339वीं बैठक दिनांक 05/10/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोफेसर्डेवर उपस्थित हुए। समिति की समस्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति की समस्त अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः मुक्त आवेदन समिति की दिनांक 05/10/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आयोजित बैठक दिनांक 08/10/2020 में पूर्व में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दुरुभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को दुरुभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(इ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोफेसर्डेवर एवं सज्जदकार को रूप में मेसर्स ओम्पट्रीस सर्विस-टेक कन्सलटेंट्स की ओर से सुधी अनापी (विक्रिमी कन्सेप्टिंग के तहत) से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - राम पंचायत मोहरीया द्वारा दिनांक 20/01/2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - रीयू जीफ माइनिंग एन्ड प्रोसेसिंग माइनिंग क्लोजर ग्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान निरीक्षक, भारतीय खान ब्यूरो, रामपुर को पत्र क्रमांक 1093/घुप/खयो/2017/रामपुर दिनांक 23/05/2017 (अवधि 2017-18 से 2020-21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्पोरेशन कलेक्टर (खनिज हाथडा), जिला-रामपुर को आपन क्रमांक 2197/ख.नि./सीन-8/2019 रामपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित



अन्त 1-खदान, क्षेत्रफल 838.548 हेक्टेयर (विदर्भ अल्फाटोक सीमेंट को सैद्धांतिक निर्देश दिया गया) है। आवंटित खदान (ग्राम-मोहरणा एवं खौलीजवरी) का सन्त 4.527 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम है।

4. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - समीपस्थ आबादी ग्राम-मोहरणा 1.2 कि.मी. एवं ग्राम-खौलीजवरी 2.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सड़क ग्राम-मोहरणा 1.5 कि.मी. एवं जलताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 225 कि.मी. है। औद्योगिक भागा 1.5 कि.मी. दूरी पर है।
5. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली नॉन्पूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिक्रिया किया है।
6. लीज का विवरण - भूमि एवं लीज बीड की घोषित वर्षों के नाम पर है। लीज बीड 30 वर्षों अवधि 10/11/2007 से 10/11/2037 तक की अवधि हेतु है।
7. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिसेलॉजिकल रिजर्व लगभग 2.84,817 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1.63,498 टन है। लीज की 75 मीटर खोली सीमा फट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1288 हेक्टेयर है। खोली कास्ट रोमी मेंकेन्द्रक विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई लगभग 5 मीटर है। उत्खनन हेतु शेष क्षेत्रों पर खोली फट्टी की मात्रा 295 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं खोली अध्याय का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिजिटल एवं प्लानिग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाता किया जाता है।
8. पर्यावरण क्लेमन्ट (खनन) जिसेलॉजिकल रिजर्व-उत्खनन प्रस्ताव करने की तिथि से वर्षवार उत्खनन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2008-2009	3199.017	2013-2014	20.0
2009-2010	710.08	2014-2015	30.0
2010-2011	7038.78	2015-2016	10.0
2011-2012	5645	2016-2017	4000.0
2012-2013	4724.78	2017-2018	निल

अनुशोधित सूचीन ऑफ माईनिंग को अनुसार विगत पांच वर्षों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012-2013	-	4728.78

2013-2014	-	30.0
2014-2015	-	30.0
2015-2016	29,000	10.0
2016-2017	29,000	4000.0
कुल	-	8768.78

आगामी पांच वर्षों के लिए पर्यवेक्षण की योजना

वर्ष	पर्यवेक्षण (टन) ROM	पर्यवेक्षण (टन)
2017-2018	25,000	23,750
2018-2019	25,000	23,750
2019-2020	26,250	24,937
2020-2021	26,250	24,937
2021-2022	27,500	26,125

6. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। यह जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी एवं अन्य उपयोग हेतु माईन वॉटर का उपयोग किया जाएगा। इस बावजूद घास पंखावा एवं रीटन कायक वाटर अवैधता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
10. **वृक्षारोपण कार्य** - जील क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.88 हेक्टेयर) क्षेत्र में 2,200 वन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 7 स्थानों पर परिदोषीय वायु गुणवत्ता मापन 7 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित एवं विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 30.68 से 21.28 माईक्रोग्राम/घनमीटर; पीएम_{2.5} 65.83 से 52.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर एसाई, 13.54 से 7.28 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एसाई_{eq} 16.06 से 9.12 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिदोषीय ध्वनि स्तर (Day time) 52.9 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.5 डीबीए पाया गया।

13. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न परामुल के आधार पर राशियां कर क्षतिपूर्ति धरि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है-

$$EC = P1 \times N \times R \times S \times LF$$

Where,

EC - Environmental compensation in Rs.

P1 - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = R \times N \times R \times LF \times S$$

No of days(N) = $(250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$

$$= (250 \times 4000) / 27,500 = 37$$

$$\text{Environment Compensation} = 80 \times 37 \times 170 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 1,25,000/-$$

= say Rs. 1,50,000/-

- ii) समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को सभ्य 322वीं बैठक में Environmental Compensation की आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेवेन्यूएल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 1,50,000 की गणना को मंजूर किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर को सिन्धु जमाते 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए क्लेयिंग को लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,50,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शसानीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेन्यूएल हाईस्टिम व्यवस्था सॉलर पैनल की व्यवस्था देने के लिये चानी की व्यवस्था एवं पुनरोपकरण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं आवेदन राशि का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
4. समर्थकानुसार प्रस्ताव रकम कर 1,50,000/- रुपये की रकम गारंटी एवं समर्थक कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा राधपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आधन दिनांक 07/11/2020 द्वारा रकम गारंटी प्रस्तुत किये जाने हेतु सुचित किया गया।

(स) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जमातारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-



1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सभा विस्तार से सभी उपरोक्त विभाजनानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.50	Following activities at Government Primary & Middle School Village - Mohrenga	
			Rain water harvesting	1.50
			Potable drinking water facility	0.40
			Running water facility for toilets	0.30
			Plantation with fencing	0.20
Total			2.40	

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के उद्देश्य में इलाक़ागत (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 1,50,000/- रुपये का उपरोक्त शासकीय उल्लंघन माध्यमिक स्कूल, ग्राम-मोहरेंगा में क्वार्टर इन्स्टिट्यूट व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं पृथक्करण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि परतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की सुचना दी गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के दायन क्रमांक 2197/ख.सि./टीन-8/2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 889648 हेक्टेयर (मिसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट की सैद्धांतिक निर्माण किया गया) है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीदबरी) का सतह 4527 हेक्टेयर है। प्रकरण उल्लंघन की बेनी का होने के कारण यह खदान सी-1 बेनी की बानी नहीं।
- Environment Compensation Plan के तहत निर्धारित कार्य को 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - श्री सोमनंद वर्मा (मिसर्स मोहरेंगा लाईम स्टोन माईन) को ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीदबरी,

तहसील-गोन्दा, जिला-रायपुर विधान क्षेत्र-मंडलीक खसरा क्रमांक 788/1 एवं 488 एवं राम-खोलीखरी खसरा क्रमांक 738, 739, कुल क्षेत्रफल - 4.327 हेक्टर, पूरा पक्का (सुका खनिज) आसपास खसरा-27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसीष्ट-04 में वर्णित खरी के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित सभी प्रतीसमय पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा रायपुर जल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की मुक्ति पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त जारी की जाए।

सबब सब पर्यावरण संरक्षण निर्देशन प्रतिकरण (एसईआईएर), प्रतीसमय की तदनुसार सुचित किया जाए।

एजीन्डा आइटम क्रमांक-5: जयदा नदीदेव की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स दिनेश चंद नासट (गिनकापार लाईम स्टोन कारी), राम-विनकापार, तहसील-खोलीखरी, जिला-बालोद (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1483)

जीनलाईम आइटम - प्रकीरत पक्का - एसआईए/ सीसी/ एसआईए/ 182421/2020, दिनांक 07/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रत्यक्ष पूरा पक्का (सुका खनिज) खदान है। खदान राम-विनकापार, तहसील-खोलीखरी, जिला-बालोद विधान क्षेत्र क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1112, 1118, 1119, 1128, 1129, 1130, 1138 एवं 1139, कुल क्षेत्रफल-2.17 हेक्टर में अवस्थित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,25,000 टन प्रतिवर्ष है।

आधीनस्थ परियोजना निर्देशक, प्रतीसमय लोक निर्माण विभाग, रायपुर को मेसर्स क्रमांक 2803/ एडीसी/एस-3/किलोमी-11/2020 रायपुर, दिनांक 02/11/2020 द्वारा मेसर्स आलोक निम्नलिखित प्रोड्यूस लिमिटेड की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त आवेदित प्रकरण पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किये जाने हेतु अनुसंधान किया गया है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 07/11/2020।

समिति द्वारा प्रस्ताव की सभी एवं प्रमुख जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अवलोकन कर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव प्रस्ताव लोकहित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः प्रस्तावक अनुसंधान को मान्य करके इसे प्रस्ताव की परिसीष्ट में परियोजना प्रस्तावक को संपन्न पूरा जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन नोटिफिकेशन) के साथ आगामी आवेदित बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

बैठक अध्यक्ष/सचिव की संमति से।

(सजदविपुल सिन्हा)

सदस्य सचिव

राज्य सार निर्देशक अखिल समिति
प्रतीसमय

(वीरेन्द्र शर्मा)

अध्यक्ष

राज्य सार निर्देशक अखिल समिति
प्रतीसमय

मेसर्स श्री वीलेन्द कुमार साहू (गोल्डमट्टा साईन स्टीन माईन)
को खनन क्रमांक 2009, कुल लीज क्षेत्र 0.769 हेक्टेयर, ग्राम-गोल्डमट्टा,
तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव में खुना पत्थर (पीण खनिज) उत्खनन
अनला-4,948 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.769 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (घोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से खुना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 4548 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पहले मुनादे जनाया जाए।
2. खनन क्षेत्र के 7.5 मीटर बाहरी पट्टी में किन्हे तम उत्खनन एवं सार्वजनिक पुनर्भरण कर वृक्षारोपण की योजना/विवरण माईनिंग प्लान में शामिल किया जाए।
3. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) को वातावरण की दूषित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्नोट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण या जल आवास में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल को गुणवत्ता बरत करकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नगरपालिका, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टी बाराक खान संभालन बंद करने के उपरांत (after cessing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी वी-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जोशों आदि से उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन बंदोबस्त प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू-जल को उपयोग हेतु पौन्दीय भू-जल क्षेत्र से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी सिमेंटी / ग्रेट / प्वाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इसपर, स्क्रीन, ट्रांसपर फाइल्टर (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्स्ट्राक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न क्वार्टिजिटिव इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय नार्म, रैम, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन विन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम संप्रेषण सिस्टम एवं जल विज्ञान की व्यवस्था की जाएगी

- प्रशासन-सहाय संघालन /संभारण सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष क्षेत्रों में भी का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
8. गाड़नों खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनियमित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 9. सीज क्षेत्र के बायीं तरफ छोटी नदी 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में बड़े वेस्ट वाटर / संभारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
 10. खनन प्रक्रिया के दौरान हाई गार्ड अपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग जलसंग्रहण हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु जलवा नालों और खड्डों को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर अपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (ऑन-सैटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पुनः से सम्भारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
 11. ओवरबैंक एवं अनुपयोगी/बिड़ी उपयोग खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर सम्भारित किया जाएगा। इस प्रकार की सम्भारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि सम्भारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डैम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 20 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबैंक डैम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से वृक्षारोपण किया जाए।
 12. जहाँ तक संभव हो ओवरबैंक एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी उपयोग खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के पर्याप्त बने नालों में पुनःस्था (डिप फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
 13. परियोजना प्रशासक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट सीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा डैम्प क्षेत्र में सिस्टेमिग वॉल / गार्डलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
 14. खनिज का परिवहन गैरलेकरी कन्टेंडर वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बहल से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
 15. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt. Primary School Village-Mohbhattha	

			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water	0.50
			Running Water facility for toilet	0.20
			Total	1.30

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (सर्वे तारक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबर्डिन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,200 वृक्षों का रोपण वृक्षरोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित घट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रमुख निवेशन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता की आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किन्हीत क्षेत्र में उपरीक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफर अर्थव्यक्त रिपोर्ट में समाहित कर्ते हुए उत्तरीगमक पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीगमक को प्रेषित किया जाए।
21. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकों को इन्फ्लेन्स/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार चिकित्सा उपचार भी कराया जाए।
22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति लपरात सुरक्षित एवं नियमित विधि से स्टाडिंट किया जाए। पाथर को छोटे-छोटे टुकड़ों (मलाई सीकरा) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद स्थिति अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित डिजिन किया जाए जिससे बस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
23. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर की छपर अंतर्गत प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसमतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।



25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैर स्वयंसेवक उत्खनन छातीसंगठन गैर स्वयंसेवक नियम-2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
26. कार्य स्थल पर यदि कंस्ट्रिग्न भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों को जागरूक हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अत्यावधिक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिनसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
27. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसंगीय सुविधा, मोंबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. भूमिकों का समय-समय पर आर्यभूषणसंगठन हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना को अनुरूप तारीक योजना, जिसमें उत्खनन, खनित की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठन / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा जन्म, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्खनन हेतु अधिकृत करता है।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समस्तता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त रूप से पालन न करने की वजह से किसी भी शर्तों में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तों जोड़ने अथवा उत्खनन / निरस्त करने के सम्बन्धों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठन की वेबसाइट www.anaacg.org पर भी किया जा सकता है।
33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यकारी की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छातीसंगठन एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
34. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वरतावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेंट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मण्डल



के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली संचितियों हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परिपोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाए गए नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपेक्षित (प्रबंध एवं विभाजन संघालन) नियम, 2016 तथा लोक वायुमय विना अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अर्जन विनियमित की जा सकती है।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी परिवर्तन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा पर विचार कर शर्तों की सम्मुखता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सकें। अदान में कोई भी परिवर्तन अथवा अन्वयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, शिक्षा-व्यापार एवं उद्योग सेंटर एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को समझ, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री विवेक गुप्ता, डी-1 खडगवांकला रोड भाईन,
की खसरा क्रमांक 358, कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टर में से 4.438 हेक्टर,
ग्राम-खडगवांकला, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर (छ.प.) में महान नदी से
रेत उत्खनन क्षमता 44,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में
दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट — परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्पूरण (Replenishment) बाधित नहीं जायेंगे, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी से पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के परामर्श ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वॉटर में है, अथवा 500 मीटर से नीचे स्वीकृत रेत खदानों का कुल तकड़ा 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.438 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीके पर खनिज विभाग से स्पष्ट जीर्णोद्धार करने के उपरान्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे कर (पोस्ट-मानसून), उसके आंकड़े तत्काल एस. ई.आई.ए. प्रतीसंगद को प्रस्तुत किये जायें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी ओवर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे किया जाएगा। चपरोका सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। मानसून के बाद (अक्टूबर/नवंबर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी ओवर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े विसंख्य 2021, 2022, 2023 एवं डी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए. प्रतीसंगद को प्रस्तुत किये जायेंगे।



7. रेत की खुदाई धमिली द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण समूह (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीड क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
8. रेत का उत्खनन केवल किन्हीं, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की कम से कम, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किन्हीं भी परिस्थिति में जल स्तर को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल (नदी बेस) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 2.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 19 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किन्हीं भी पुलिया, स्टाम्पिंग, बांध, एनलॉन्ट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्तर पर कोई किमरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल घसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसमें आस-पास की क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कचुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परिपोषण प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभावी पक्का लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्विजिटिव डास्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिधान, नयायन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन कार्बोनिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बहकर नहीं गिरे। वाहन का परिवहन कर रहे वाहनों की संख्या से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नव प्रति हेक्टेयर लीड क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर



तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पीछे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कंटेंटदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए नृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्थव्यक्त रिपोर्ट में समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निदेशिका प्रविधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पत्र तैयार किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Firangi Para	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.21
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	0.81

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यकारी 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन को विस्तारी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रीत उत्खनन करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करने। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / सार्वजनिकता का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. प्रस्तावित सीमा अतिरिक्त नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रीत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्वयानुसार/शर्तों एवं सन्तुलन जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं फाईनललीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।



23. कार्य स्थल पर यदि किमिना श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल भित्तिराशीय सुविधा, भीमाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्युपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
26. रखरखाव की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित रखरखाव योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा कोन्ट्र. राज्य एवं स्थानीय कानून / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना को संप्रेषण में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषजनक रूप से पालन न करने की वजह से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा संशोधन / निरस्त के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत-सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.environment.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.sea2009.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, महा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उद्घाटन शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत

01

सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नीतिनिधि हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा निगरान) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा निगरान) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय अपशिष्ट (प्रबंधन इन्धालन एवं सीमन्ताए संग्रहण) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य भिष्य हो सके। तद्वतन में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उन्नीस बीसीए सांख्यिक, जिला-व्यापार एवं उद्योग, बन्द एवं मलेक्टर, गहरीलदास कार्यालय से 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरुद्ध अपील मंजूरत हीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेतानत हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

की निम्नलिखित गुणा की-2 खडकवाकला सेण्ड माईनिंग,
को पार्ट ऑफ खडकवाकला क्रमांक 356, कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टेयर में से 4.725
हेक्टेयर खान-खडकवाकला, ताशील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर (छ.ग.) में महान
नदी से रेत उत्खनन क्षमता 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण
स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करवाएगा, ताकि रेत के पुनर्स्थापन (Replenishment) का वास्तविक आंकड़ा, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की पुनर्स्थापना पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्थित रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.725 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने की पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर नदी सतह की स्तरों (Levels) का सर्वे कर (पोस्ट-मानसून), उसके आंकड़े सत्काल एच. ई.आई.ए.र. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोन्स ऑफ) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इनकी सिद्ध बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोन्स ऑफ) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व गर्द माह के अंतिम सतह/जून के प्रथम सप्ताह) इनकी सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.र. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायेंगे।



7. रेत की खुदाई बगिचों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग थाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
8. रेत का उत्खनन केवल विन्हीर, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा सामान्य जल स्तर की ऊपरी सतह दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (डाई बेंक) से अलग छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 25 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई से 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 17 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी भुलिया, स्ट्रम्पेड, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल सहाय के स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लसी क्षेत्र में किया जाए जिससे एकाधिक जल-धारा के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। मछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परिवहन प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों तथा लॉजिस्टिक्स / इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय इन्फ्रस्ट्रक्चर के निषेध हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन तारपीटिन अथवा अन्य उपयुक्त साधन से डकें हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। सड़क का परिवहन कर से वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, पीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर

तथा इसके अतिरिक्त 500 नग बीघे पट्टन मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जबका काटेदार तार को बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षा रोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

- 17 वृक्षा रोपण का मृत-स्थाप आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चिता करने हुये मृत वीधो को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
- 18 किये गये वृक्षा रोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे हुए फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हुये जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रक्रिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.) जलतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
- 19 सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government School Village-Khadgawankala	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.21
			Plantation	0.15
Total			0.81	

- 20 सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
- 21 परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से वेत उत्खनन आरंभ करने को पूर्ण आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- 22 जलतीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा वेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।



23. कार्य स्थल पर यदि कैंपिंग शक्ति कार्य पर लगाई जाते हैं तो ऐसे शक्तियों को आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही मांगनी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
24. शक्तियों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजन विनिर्माणनीय सुविधा, सोबापुत्र लामलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. शक्तियों का समय-समय पर जायजुवेशनल हेल्थ सर्विलेस करवाया जाये।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना की अनुसूच वर्गीक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय शर्तकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय शर्तकृति किसी निजी समिति को मुक्तताम पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत समितियों को अधिकतरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय मानुनों / विधियों के संशोधन हेतु अधिकृत करता है।
28. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय की मानकी को और सख्त करने पर अधिकार सुरक्षित रखा है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र में आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय शर्तकृति प्राप्त होने की 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परियोजना की पर्यावरणीय शर्तकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय शर्तकृति पत्र की प्रतिभों स्वियामरूप छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seisacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय शर्तकृति में ही नई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थ वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर द्वारा पर्यावरणीय शर्तकृति में प्रस्ता शर्तों के पालन की जातिटरीन की जाएगी।
31. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत

सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में भी जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अतिक्रमण न हो पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतनय अर्थात् (प्रबंधन संचालन एवं तीनाकार संचालन) नियम, 2008 (तथा संशोधित) तथा लोक शान्ति बोना अधिनियम, 1991 (तथा संशोधित) के अधीन किनेटिफ्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की अनुपालना अन्ततः नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती की धनकी क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-अध्याय एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य-सचिव, एच.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एच.ई.ए.सी.

मेरसरी मोहरंगा लाईन स्टोन माईन (प्रो. - श्री गोविन्द वर्मा)
 को राम-मोहरंगा खसरा क्रमांक 788/1 एवं 489 एवं राम-खौलीदबरी खसरा
 क्रमांक 738, 739, कुल लीज क्षेत्र 4,527 हेक्टर, राम-मोहरंगा एवं खौलीदबरी,
 सहसूल-तिल्दा, जिला-रायपुर में नूना फाथर खदान (मुख्य खनिज) उत्खनन
 क्षमता-27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकांश उत्खनन क्षमता (लीज क्षेत्र) 4,527 हेक्टर अथवा फलतःसम्बन्धित जालन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (जोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से नूना फाथर खदान (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता-27,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकम चक्के नुसार लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं परेशु दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त आतंका किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सहाई जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनःचाराण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। परेशु दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सॉफ्टीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सहाई जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं पर्यावरण का जल आतंका में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता नारा संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नकारण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा फलतःसम्बन्धित पर्यावरण संरक्षण संकेत द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) को अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा द्वारा खान संचालन बंद करने की उपरोक्त (और closing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र को जो कि उनकी खनन गतिविधियों को कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी वी-रालिंग (re-grassing) की जाएगी एवं नूना का पुनःस्थापना इस दिशा में तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जलो अदि के उपरति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजन प्लान एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. नू-जल के उपयोग हेतु कोन्दीय नू-जल बोर्ड से सम्बन्ध आरम्भ करने को पूर्व अनुमति प्राप्ता किया जाए।
6. किसी विद्युती / वेट / फाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को मात्र 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। लीज क्षेत्र में ऊपर / खनिज आदि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं की जाए। खनिज शासन गतिविधियों के विभिन्न स्कोपों से उत्पन्न पर्यावरणिक इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्युष मार्ग, ईम्प, संरक्षण क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन विन्दुओं इस्ट कंटेनमेंट कम संरक्षण सिस्टम एम जल चिकनाय की आवश्यकता किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न संकेत जाल का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

7. वाहनों, क्षमता एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों को अनुसरण रखा जाएगा। उत्सन्न क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र के सभी तरफ चौड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / मण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुआरोंपन किया जाए।
9. पर्यावरण प्रक्रिया के दौरान हटाई गई जमीन मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग सम्बन्धित हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को स्थिर (स्टैबिलाइज्ड) करने में किया जाए। जहां पर जमीन मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (मीनकस्टेरी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से मण्डारित एवं भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विभाजित स्थल पर मण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के मण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। खनन की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग खनन का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुआरोंपन किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा कृषि वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्ट लीज क्षेत्र को आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु नईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन कन्वॉई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बालू नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.50	Following activities at Government Primary & Middle School Village - Mohranga	
			Rain water harvesting	1.50

Handwritten signature

		Potable drinking water facility	0.40
		Running water facility for toilets	0.30
		Plantation with fencing	0.20
		Total	2.40

15. सी.ई.आन. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. Environment Compensation के तहत निर्धारित कार्य क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, डान-मोहरिया में रेनवॉटर इम्प्लेंटिंग व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण का कार्य 08 माह में भीतर पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु विविध क्षेत्र (घाटी स्तरक 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हाई वॉल, ओवरब्रैक इनप आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,200 कुर्वा का स्थान वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इरिग चट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यवेक्षण के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नम प्रति टोकटकर लीज क्षेत्र के अनुसार बस, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कांटेदार तार की बाड़ जथथा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक स्थापन किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को इमरसन/गैस आदि उपकरण दिए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सात्मक जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. स्थल प्राधिकारी / सी.जी.एम.एस. से अनुमति उपर्युक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से स्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (थलाई रोक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थल व्यवस्था किया जाए। डस्ट ड्रिलिंग जथथा बसु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया में-जल स्तर के उपर अस्तुत्ता प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया में-जल स्तर के नीचे किसी भी परिवर्तन में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इन प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कर्मियों एवं बीज-जन्तुओं पर काम से काम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बिल्डिंग का उत्खनन प्राथमिकता में ही अनिवार्य नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं प्राथमिकता प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि जैविक क्षतिक कार्य पर अभाव है तो ऐसे क्षतिकों के अभाव हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था

(Signature)

असह्यधी संरचनाधी के रूप में ही लकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

25. अधिधी के लिए खसने खल पर खल परखल विविधसधीय सुविध, सोबाइल टापलेट आदि ही खरखर परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. अधिधी का समय-समय पर आवपुषेखल होख सडिसेस करना आवस्यक है।
27. खखनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एर अनुसुधित खखनन खोजना के अनुसूत वार्षिक योजना, जिसमें खखनन, खनिज की सख एर संशुधित सभिलित है, में किधी की प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छलीसगड / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी अधिलगत खल अथ समुधित पर अधिकार हशाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किधी निधी समुधित को सुसखान सडुखाने अधया खलितगत अधिकारों के अधिकरण अधया खेन्ध, खण्ड एवं स्थानीय कानून / विधिओं के खल्लखन हेतु अधियुत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए. छलीसगड पर्यावरण संरक्षण की सुधि से परियोजना की खखरेखा में परिवर्तन अधया किनिधित शर्तों के सलीखण्ड रूप में पालन न करने की वश में किसी भी शर्त में सखोधन/निरस्त करने अधया नई शर्त खखने अधया खखखर्तन / निरखार के सखखों को और खखार करने का अधिकार सुसुधित खखार है।
30. परियोजना प्रस्तावक नखुसख 2 स्थानीय खखखल पडों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आरु-पडर खखखर रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सुधन प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतिधी सखिलख, छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलीखन हेतु खपलख है। साथ ही इसका अवलीखन एस.ई.आई.ए.ए. छलीसगड की वेबसाइट www.seaag.org पर भी किया जा सखता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की खर वार्षिक रिपोर्ट छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अखल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल, सखपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छलीसगड एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नखपुर को प्रमित किया जाए।
32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नखपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदलत शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग भी जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रसूत किए गए खखखेडी एवं आवेदन का पूर्ण रीट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नखपुर को प्रमित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छलीसगड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नखपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सखलिकों/अधिवरिधों को शर्तों के अनुखजन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छलीसगड पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं खण्ड खखखल द्वारा की गई शर्तों का अधिवार्य रूप में पालन करेगा। ये शर्तें खल (प्रदूषण निखरण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षणय और अन्य अधिनियम (प्रकाश एवं सीमावार संभालन) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) को अद्यतन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वश में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पूरा नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने कायदा निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को पूरा अनुमति से बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को अपने क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं जिला केन्द्र एवं कलवट/सहयोगी कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय स्वीकृति से विस्तृत अपील नेशनल हीन ट्रीब्यूनल को सम्बन्ध नेशनल हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रक्रियाओं अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.